The Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of Article-343)

SHRI VAIKO (Tamil Nadu): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VAIKO: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Constitution (Amendment) Bill, 2019 (insertion of new article 14A and omission of article 44).

SHRI K.K. RAGESH: Sir, point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Let me complete. Now, Shri Narayan Lal Panchariya to move for leave to introduce the Constitution (Amendment) Bill, 2019 (insertion of new article 14A and omission of article 44); not present. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I have a point of order. This is against the basic structure. As per the present position, basic structure of our Constitution cannot be amended. Secularism is the basic structure of our Constitution. This Bill is against secularism and hence, against the basic structure of our Constitution. Hence, this Bill cannot be introduced.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Well, your point is taken. I would come to this. Now, the Constitution (Amendment) Bill, 2017 (amendment of article 51A). Shri Prabhat Jha to move a motion for consideration of the Constitutional (Amendment) Bill, 2017.

The Constitution (Amendment) Bill, 2017
(Amendment of Article 51A)

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

आदरणीय उपसभापति महोदय, स्वच्छता और शुद्धता हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का एक अंग हैं। हम घर में पर्व मनाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं अथवा जो हमारा आराधना स्थल होता है, उसकी साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। हम बाह्य परिवेश को तो स्वच्छ करते हैं, लेकिन अपने अंतर्मन को भी स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता के 16वें अध्याय में 26 गुण बताए गए हैं। उन 26 गुणों के आधार पर कोई पूछे कि क्या ये आज की बातें हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि गीता के 6वें अध्याय में दिए गए 26 गुणों में एक गुण स्वच्छता का भी बताया गया है। जो 26 अन्य गुण उसमें बताए गए हैं, वे हैं निडरता, शुद्ध सात्विक वृत्ति, ज्ञान व योग में आस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्यता, अक्रोध, अहंकार शून्यता, शान्ति, छिद्रान्वेषण में अरुचि - अर्थात् पीठ पीछे बात न करना, दया भाव, लालच न करना, कोमलता,

[श्री प्रभात झा]

लज्जा, चंचलता का अभाव, तेजस्विता, क्षमाशीलता, थैर्य, स्वच्छता और शुद्धता का भाव, विद्रोह न करना और अभिमान या घमण्ड न करना। ये गुण श्रीमद्भगवद्गीता के 16वें अध्याय में दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि स्वच्छता और शुद्धता आत्मीयता से होनी चाहिए।

महोदय, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वह विवेकशील प्राणी इसलिए है, क्योंकि अगर उसमें विवेक नहीं होता, तो उससे शुद्धता और स्वच्छता की अपेक्षा ही नहीं की जाती। फिर तो हम भी उसी श्रेणी में होते, जिस श्रेणी में कहां खाना है, कहां जाना है, कोई जानकारी ही नहीं होती है। इसलिए मनुष्य के विवेकशील होने के कारण हमारा मौलिक दायित्व बन जाता है कि हम शुद्धता और स्वच्छता के साथ जुड़ें।

उपसभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गंदगी को अपराध माना था। प्रधान मंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से 5 अगस्त, 2014 को श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने स्वच्छता के लिए आह्वान किया था। सामान्य तौर पर आज तक प्रधान मंत्री ऐसी बातें नहीं करते रहे हैं। लेकिन देश की प्राथमिकता और देश की आवश्यकता को देखते हुए, एक नागरिक का सामान्य मौलिक भाव क्या होना चाहिए, सिविक सेंस क्या होनी चाहिए, इसकी ओर माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश का ध्यान दिलाया। इस देश में वोटर सेंस तो बहुत डेवलप की गई कि आप हमें वोट देंगे, तो हम यह दे देंगे, लेकिन आज़ादी के 70-72 साल के बाद, आज भी इस देश में यह लिखना पड़ता है, 'बाएं चलिए', 'दाएं चलिए', 'गाड़ी मत खड़ी करिए'। यह क्या है? इसका कारण यह है कि हमने अपनी सिविक सेंस को, नागरिक बोध को छोटा कर दिया और मत बोध, अर्थात् वोटर सेंस को बढ़ा कर दिया, इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया कि स्वच्छता अभियान हमारा जन-आन्दोलन बनना चाहिए।

महोदय, अभी मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कही। सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश आने के बाद, एक श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी प्रिय स्वच्छता को देश से अपनाने की अपील की थी। उनकी यह अपील आज देश में जन-आन्दोलन का रूप ले चुकी है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांधी जी की 50वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता एवं उनके स्वयं के कुछ कार्य सदैव हमको याद रखने चाहिए। महात्मा गांधी जी ने 104 साल पहले, 1915 में गंदगी को अपराध माना था। उन्होंने कहा था कि गंदगी एक अपराध है और आजीवन वे स्वच्छता के कार्य में लगे रहे। एक तरफ वे अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, दूसरी तरफ, जब भी भारत में उनका प्रवास होता था, तो उनका आकर्षण सबसे पहले गंदगी को दूर करने और स्वच्छता के प्रति रहता था। इतिहास में अनेकों प्रसंग मौजूद हैं, लेकिन उनके संबंध में एक बहुत ही जागरूक संस्मरण है। गांधी जी श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम शान्ति निकेतन, कलकत्ता गए थे। उन्होंने वहां पर तीन दिन तक रहने का कार्यक्रम बनाया था। गांधी जी अपने स्वभाव के अनुसार स्वच्छताप्रिय थे। जब वे वहां गए, तो उनके साथ में आचार्य कृपलानी जी भी थे। आचार्य कृपलानी जी से गांधी जी ने कहा कि भाई, यह कैसा आश्रम है? यहां रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे इतने बड़े आदमी रहते हैं, इसके बावजूद यहां का यह हाल है। गांधी जी का मन एकदम हिल गया। आचार्य कृपलानी

जी ने यह लिखा है कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम में साफ-सफाई के प्रति जो उदासीनता दिखायी गयी थी, तो गांधी जी, जो वहाँ कुछ बात करने गये थे, उन्होंने सबसे पहले शान्ति निकेतन की साफ-सफाई में वहाँ पर पूरा दिन गुजारा। उन्होंने शान्ति निकेतन परिसर को इतना भव्य और सुन्दर बनाया कि जब रवीन्द्रनाथ टैगोर जी आये, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ही आश्रम में आया हूँ या कहीं बाहर आ गया! तो गांधी जी ने उनको कहा कि स्वच्छता कार्य-सिद्धि की पहली प्राथमिकता है, पहली सीढ़ी है। अगर आपका मन स्वच्छ नहीं है, परिसर स्वच्छ नहीं है, आपका परिवेश स्वच्छ नहीं है, तो आप किसी भी काम में अशुद्धता ही करेंगे, कभी नहीं आगे जा सकते। उन्होंने फिर रवीन्द्रनाथ जी से कहा कि इसलिए आप कृपा करके, इस दृष्टि में आप जब उठें, तो पहला कार्य अपने हाथ से करिए, तो आश्रम में रुकने वाले लोग भी इस दिशा में काम करेंगे। ...**(व्यवधान)**... यहाँ यह स्मरणीय है कि गांधी जी को 'महात्मा' की जो उपाधि मिली थी, माननीय उपसभापति महोदय, यह 'महात्मा' की उपाधि उसी तीन दिन के कार्यकाल में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको दी थी कि आप सच में 'महात्मा' हैं। ...**(व्यवधान)**...

गांधी जी ने 1920 में गुजरात में 'गुजरात विद्यापीठ' की स्थापना की। गुजरात में इस विद्यापीठ आश्रम की जीवन-पद्धति, यदि आप जायेंगे, तो देखेंगे। जो लोग जाते हैं, वे देखते हैं कि वहाँ पर चाहे वह शिक्षक हो, छात्र हो या स्वयंसेवक जो उनके वहाँ काम करते हैं, कर्मचारी हो या कार्यकर्ता हो, उसके कार्य का प्रारम्भ सूर्योदय होते ही स्वच्छता से शुरू होता है। आज भी वहाँ गांधी जी के किये गये कार्यों को देखा जा सकता है। विद्यापीठ की रिहायशी कुटीरों में, गलियों में, कार्यालयों में और अन्यान्य जगह, जहाँ भी आप जायेंगे, वहाँ आपको यह दिखेगा। सबसे पहले, आश्रम में जो रुकने आते हैं, उनके लिए वहाँ लिखा हुआ है कि 'आप प्रात: स्वच्छता का यह कार्य करेंगे और सोने से पूर्व भी स्वच्छता का अवलोकन करने के बाद सोयेंगे।' लोग गांधी जी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करते थे। लोग चाहते थे कि मैं गांधी जी का कार्यकर्ता बन जाऊँ। लेकिन गांधी जी के पास जो लोग रहने आना चाहते थे, उनको गांधी जी कहते थे कि मेरे साथ रहना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जैसा करता हूँ, वैसा करोगे? पहली ड्यूटी यह होगी कि आश्रम की सफाई, चाहे वह शौचालय की हो, बाथरूम की हो या जिस तरह की हो, तो क्या तुम मेरे साथ करोगे? मेरे व्यक्तित्व के आकर्षण से कुछ मत समझो, आश्रम के जो नियम हैं और स्वच्छता के प्रति जो मेरा समर्पण है, अगर उसके साथ कुछ काम कर सकते हो, तो तुम मेरे साथ जरूर काम कर सकते हो।

19 नवम्बर, 1925 को 'यंग इंडिया' में गांधी जी ने भारत में स्वच्छता के बारे में अपने विचारों को रखते हुए कहा था कि देश के अपने भ्रमण के दौरान-- उन्होंने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया था। पूरे भारतवर्ष का दौरा करने के बाद वे जब आये और कुछ लोगों से चर्चा की, तो गांधी जी बहुत दुखी थे। लोगों ने पूछा कि गांधी जी, क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा कि भारत में सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं जहाँ-जहाँ गया, वहाँ गंदगी देख कर मेरा माथा झ ुक गया, मेरा मन खराब हो रहा है। इतनी गंदगी मैंने कभी नहीं देखी। उसके साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए अपने को एक आन्दोलन करना पड़ेगा। आज जब हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में स्वच्छता को एक अभियान की तरह चलाने की बात की है, उन्होंने

[श्री प्रभात झा]

कहा कि इसे मन से स्वीकार कीजिए, अगर आप इसे चाहते हैं, तो इसे जनान्दोलन बनाइए। यह राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता, यह वोट बैंक का मुद्दा नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने यह कहा। उन्होंने Ambassadors बनाये और देश के गणमान्य लोगों को उसके साथ जोड़ा कि स्वच्छता, चाहे सचिन तेन्दुलकर हों या अमिताभ बच्चन हों, आपको भी करनी पड़ेगी। प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली में बाल्मीकि कॉलोनी से उस कार्य की शुरुआत की थी। 'Charity begins at home', इसलिए हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए।

अब भारत में गांधी जी के बाद, गांधी जी के विचारों से सहमत होते हुए अगर किसी व्यक्ति ने काम शुरू किया, जिसने शौच का वैज्ञानिक निस्तारण 'सुलभ इंटरनेशनल' के माध्यम से किया, उसका नाम है- डॉ. बिन्देश्वर पाठक, जिसे 'पद्म भूषण' मिला है। यह आज नहीं मिला है, बल्कि सन् 1984 में मिला है। उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए जो किया, उसके संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। जब वे एमए पास आउट होकर पटना से गांव गए, तो गांव में लोगों ने कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो? तुम जनेऊ पहनते हो, चुटिया रखते हो, यह तुम क्या कर रहे हो? वे क्या करते थे? खेत में लोग जो latrine जाते थे, जब वह सूख जाता था, तब वे उसको कुदाली से साफ करते थे। लोगों ने कहा कि यह पागल हो गया है। बिन्देश्वर पाठक इतना सब कुछ झेलने के बाद भी झुके नहीं, बल्कि वे अपने अभियान में लगे रहे। यही कारण है कि आज सुलभ इंटरनेशनल एक लाख से ज्यादा मानवसेवी के साथ 44 कंट्रीज़ में एक मानव की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे काम करने वाले को..., जो लोग नोबेल पुरस्कार देते हैं, जो लोग इसके लिए छानबीन करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि भारत में भी एक ऐसा व्यक्ति है, जिसने न जनेऊ की चिंता की, न चुटिया की चिंता की, न जात की चिंता की, उसने कहा कि यदि मनुष्य का मल गंदगी फैलाता है, तो इसको दूर करने का उपाय करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सिफ आलोचना नहीं कि, बल्कि उन्होंने उसको दूर करने के लिए सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की।

महोदय, मेरी माता जी का निधन हुआ, तो अभी मैं गांव गया था। मैं जब गांव जाता था, तब वहां देखता था कि अंधेरा होते ही लोग लोटा लेकर सड़क के किनारे बैठ जाते थे। इस बार मैं अवाक् था। मैं लोटे वालों की तलाश करने के लिए नेपाल के बॉर्डर तक गया, मेरा गांव नेपाल के पास है, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, जो लोटा लेकर जाता हो। हम नेपाल से 14 किलोमीटर की दूरी पर भारत में रहते हैं। मैंने वहां लोगों से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि साहब, प्रधान मंत्री शौचालय योजना के अंतर्गत इतने शौचालय बन गए हैं, माताएं-बहनें इससे बहुत खुश हैं। इसमें क्या होता है? जब हम हर चीज को राजनीतिक निगाह से देखते हैं, तो वह जनांदोलन नहीं बन पाता है, लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों ने, चाहे वे किसी पार्टी के सरपंच हों, किसी पार्टी के मुखिया हों, सबने मिल कर इसको एक अभियान के तहत किया और आज मैं गौरव के साथ कहता हूँ कि सड़कों के किनारे की गंदगी, आप

चाहे टॉर्च लेकर जाइए, आपको वहां पर नहीं मिलेगी। मैंने बिन्देश्वर पाठक जी की बात इसलिए बताई, क्योंकि उन्होंने इस काम के प्रारंभ में बहुत यातनाएं सहीं, इसलिए अगर आप किसी चीज को लाते हैं, तो उसका फिर समाधान करने की भी कोशिश करनी चाहिए।

महोदय, हम इस वर्ष गांधी जी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को शत-शत बधाई देना चाहता हूँ। यह अद्भुत कार्य हुआ है। 'स्वच्छ भारत मिशन' एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं में से एक अहम प्राथमिकता है। हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने खुद इस अभियान को प्रारंभ किया और उन्होंने अपेक्षा की और एक नहीं, बल्कि सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों को... मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जब मैं मुम्बई में पढ़ता था, उस समय मैं छः साल का था, उस समय यानी 1964 में पं. जवाहरलाल नेहरू जी एम्पाला गाड़ी में रोड से निकले थे। उस समय इतना बॉडी गार्ड वगैरह नहीं होता था। हम लोगों को स्कूल में गुलाब का फूल दिया गया था और कहा गया था कि जब नेहरू जी मुम्बई-आगरा रोड से निकलेंगे, तो उन्हें सब बच्चे एक-एक गुलाब का फूल देंगे। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि छोटी से छोटी जगह पर जाइए, तो स्वच्छता देखने लायक होनी चाहिए। उस समय हम लोगों को कहा गया था कि नहा-धोकर बढ़िया कपड़े पहन कर स्कूल आना है, क्योंकि नेहरू जी आ रहे हैं। आज देश में प्लास्टिक बीनने का काम शुरू किया गया। प्लास्टिक भी बहुत रोगों का जनक है। इसकी शुरुआत किसने की? क्या इससे पहले प्रधान मंत्री नहीं हुए? जब आदमी के मन में जुनून होता है कि मेरा भारत स्वच्छ होना चाहिए, तब यह संभव है। हम ऑस्ट्रिया से आते हैं, स्विट्जरलैंड से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, मॉरीशस से आते हैं, तो कहते हैं कि वहां क्या सफाई है। मैं सिर्फ सुनता रहता था। क्या यह सफाई भारत में नहीं हो रही है? ये जो सुनते थे, इसलिए धीरे-धीरे इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया। 2 अक्टूबर, 2014 से यह मिशन शुरू हुआ और 130 करोड़ भारतवासियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और मैं भी आज यहां खड़े होकर सदन के भारत आप सभी की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि आज भारत पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हुआ है।

इसका सारा श्रेय जन आंदोलन को जाता है, जिसे भारत की जनता ने स्वीकार किया है। सर, "स्वच्छ भारत मिशन" की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मिशन के अंतर्गत देश भर में दस करोड़, 50 हजार, 588 शौचालय बने और इससे पाँच लाख, 64 हजार, 658 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। अगर हम जनता को खड़ा कर देंगे, तो जनता इस देश के अभियान को आगे बढ़ाएगी। जैसे कल श्री प्रकाश जावडेकर जी ने कहा कि बीजिंग में यह 15 साल में हुआ। उन्होंने कहा कि हम यहाँ और जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, जन जागरण करेंगे। अखबार में छाप दिया गया कि यह 15 साल में होगा। यह हमारा मौलिक दायित्व है, इसे Constitution में होना चाहिए, इसलिए मैंने यह बात यहाँ रखने की कोशिश की है। "स्वच्छ भारत मिशन" सफल रहा है। स्वच्छता को संविधान के मौलिक कर्तव्य में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मानें, तो स्वच्छता अभियान से सतही, जल, मिट्टी या वायु रहित, पर्यावरण

[श्री प्रभात झा]

के सभी पहलुओं के साथ-साथ, खुले में शौच से मुक्त क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में स्वास्थ्य और कल्याण का बहुत प्रभाव हुआ है। सर, स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि इसके कारण भारत में तीन लाख लोग जो डायरिया से मरते थे, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इससे इनकी संख्या में 75 फीसदी कमी आई है और आज डायरिया से कम मौतें हो रही हैं। पहले गाँव-गाँव में डायरिया फैल जाता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने अपने वर्ष 2018 के अध्ययन में अनुमान व्यक्त किया था कि भारत के खुले में शौच करने से मुक्त हो जाने पर "स्वच्छ भारत मिशन" ने तीन लाख से अधिक जिंदगियां बचाई हैं। आज "स्वच्छ भारत अभियान" से तीन लाख से अधिक जिंदगियां बच रही हैं और इस अभियान को जो उपलब्ध्याँ मिली है, वे उपलब्धियाँ तभी सतत बनी रहेंगी, जब प्रत्येक देशवासी स्वच्छता को अपना कर्तव्य मानेगा। देखिए अपने अधिकारों के लिए तो हम हमेशा लड़ते हैं, लेकिन नागरिक की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं और प्रधान मंत्री जी ने हमें नागरिक की ड्यूटीज़ का अहसास इस धरा पर, भारत में कराया। उन्होंने बताया है कि हम सिर्फ नागरिक नहीं हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। जब तक माँग न पूरी होगी, ये सब चीजें होनी चाहिए और नागरिक के नाते जो कर्तव्य हैं, जो नागरिक बोध है, उसका भी जागरण होना चाहिए। इसके सुनिश्चितकरण के लिए आज संविधान में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और स्वच्छता अभियान को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। महोदय, संविधान में मौलिक कर्तव्य पहले से नहीं थे। इन्हें संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में इनकी संख्या कुल 11 है। संविधान के भाग-4 में सम्मिहित अनुच्छेद 5(क) में लिखित मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं। अब मैं यहाँ उन कर्तव्यों को जरा बता देता हूँ, उसके बाद मैं निवेदन करूँगा।

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें।

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

(घ) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्त और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। सर, आखिरी है-

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

यह वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था।

आदरणीय उपसभापति महोदय, ये सारी बातें बताने में विषय बहुत लम्बा हो सकता है। हम अपने घर को साफ रखना चाहते हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है, जो अपने घर के पूरे पॉट को साफ करते हैं, लेकिन आप नगरपालिका में चले जाइए, नगरपालिका के लैट्रिन को देखिए -- मैंने "सुलभ इंटरनेशनल" की बात इसलिए की कि एक जगह पर नगर निगम का भी शौचालय था और वहीं दूसरी ओर "सुलभ इंटरनेशनल" का भी शौचालय था। दोनों में जमीन-आसमान का अंतर था। एक में पॉट गायब, किवाड़ गायब, सांकल गायब, लेकिन वहां दूसरे में एक केयरटेकर था। वहाँ तीन लोग ड्यूटी करते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि जब हम इसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ेंगे, तो नागरिक का भी भाव बढ़ेगा। देश हमारा है। अगर भारत नहीं रहेगा, तो हम किस गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं? हमें कहने में कोई गर्व नहीं होगा। इसलिए नरेन्द्र मोदी जी के इस आह्वान को देश ने स्वीकार किया।

जब युद्ध हुआ था और देश में गेहूँ का संकट हुआ था, तब लालबहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार को एक दिन का उपवास कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तब लालबहादुर जी की बात सारे लोगों ने मानी थी। मैं भी उस समय पढ़ता था। मेरे घर में भी एक ड्रम रखा गया। हमारे घर में शाम को खाने के जितने सामान बनते थे, चावल, गेहूँ, आटा, जो भी होता था, उसको उस ड्रम में रख दिया जाता था। उसके बाद, इस देश के 130 करोड़ नागरिक अगर किसी नेता की बात सुनते हैं, तो वे अपने प्रधान मंत्री की बात सुनते हैं और वह इसीलिए क्योंकि स्वच्छता में जीवन है, स्वच्छता में जिन्दगी है, स्वच्छता में साँस है, स्वच्छता में भारत है।

इसलिए मैंने सदन से और आपसे यह निवेदन किया है कि मौलिक कर्तव्यों में स्वच्छता को जोड़ा जाए। अगर यह हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे हम नागरिकों का सम्मान बढ़ेगा और स्वच्छता हमारा एक कर्तव्य भी बन जाएगा। इन्हीं बातों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

The question was proposed.

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं अपने colleague, प्रभात झा जी का अभिनन्दन करूँगा कि वे एक बहुत अच्छा बिल यहाँ लेकर आए हैं। यह इसलिए है, क्योंकि मैं

[डा. विकास महात्मे]

एक डॉक्टर हूँ और मैं आपके जरिए सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी बीमारियाँ होती हैं, उनमें से 80 प्रतिशत अस्वच्छता के कारण ही होती हैं। अगर हम इसका स्वच्छता में रूपांतरण करें, तो इन infectious diseases का प्रभाव बहुत कम हो सकता है । जितने भी infections हैं, उनके पीछे या तो water contamination है, यानी अशुद्ध पानी पीने से हमें बीमारियाँ होती हैं या हम जो खाना खाते हैं, उसमें जो food contamination रहता है, उससे बीमारियाँ होती हैं। हमारी जो food handling की आदत है, उसके तरीके अच्छे न होने से भी बीमारियाँ हो रही हैं। ये सभी चीज़ें स्वच्छता में आती हैं। मुझे लगता है कि यदि हम स्वच्छता की तरफ ध्यान दें, तो 80 प्रतिशत काम अपने आप हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, उनके बारे में काफी लोगों को आज तक पता नहीं था। जब हमारी कोई डिमांड होती है या हम जो भी चाहते हैं, उसके लिए हम सड़कों पर उतरते हैं, यह सब तो हमें पता रहता है, लेकिन हमें क्या करना है हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल से इस बिल के माध्यम से सभी लोगों को अब यह पता चल जाएगा कि कांस्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की तरह ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, जिनकी संख्या 10 है। लोगों को इस बारे में सजग करना चाहिए, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ भी लोगों का ध्यान आकर्षित होगा।

हमारी एक परम्परा है कि आज भी लोग दिवाली में अपने घरों की पूरी साफ-सफाई करते हैं, पेंटिंग करते हैं और इस तरह सभी के घरों में स्वच्छता का एक अभियान चलाया जाता है, लेकिन यह काम हमारे रूटीन दैनंदिन व्यवहार में होना चाहिए, यह हमारे अंदर imbibe होना चाहिए, यह हमारे अंदर तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। काफी लोगों को लगता है कि इसके लिए गरीबी एक कारण है। गरीबी एक कारण होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी मानसिकता बदलनी जरूरी है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि यदि आप रोड पर जा रहे होंगे तो कार से जाने वाले लोगों को भी कचड़ा बाहर फेंकते हुए देखा होगा, यानी उनके पास पैसा है, लेकिन आज तक उनकी मानसिकता नहीं बनी है कि कचड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इससे गंदगी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी और परेशानी होगी, उससे environment pollution भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए यह मूल कर्तव्य में आना बहुत ज़रूरी है। मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी मोदी सरकार ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं उसके ऊपर ज़ोर दिया है। इस बार हमने देखा कि कुम्भ मेला इतना बड़ा हुआ, लेकिन इस कुम्भ मेले में स्वच्छता बहुत अच्छी थी। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि सभी लोग और बाहर देशों से जो लोग आए, उन्होंने भी कहा कि यह कुम्भ मेला बहुत अच्छा और साफ-सुथरा था और पानी भी बहुत अच्छा था। यह जो बदलाव है, ऐसा ही बदलाव सब जगह आना ज़रूरी है। इसके लिए मोदी जी जो स्वच्छता अभियान लाए हैं, उससे यह काम आसानी से हो सकता है, किंतु जब यह मूल कर्तव्य में आएगा तो हमेशा के लिए भारत एक स्वच्छ देश करके जाना जाएगा। इसमें यह समझना चाहिए कि सिर्फ स्वच्छता ही मूल कर्तव्य नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी स्वच्छता में योगदान दे रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, hygenic cleanliness का

काम कर रहे हैं, उनको भी उतना ही सम्मान चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे यहां जो लोग टॉयलेट साफ करते हैं, उनके प्रति हम सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करते। यह बदलना ज़रूरी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उन सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने के लिए कुम्भ मेले में जिन लोगों ने साफ-सफाई का काम किया, उन लोगों का सम्मान करने के लिए उनके पैर स्वयं धोए और साफ किए और पूरे भारतवर्ष में एक संदेश पहुंचाया कि जो लोग भी साफ-सफाई का काम कर रहे हैं या टॉयलेट साफ करने का काम कर रहे हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने बाकी काम करने वाले लोग हैं। इसलिए यह संदेश बहुत ज़रूरी था और मुझे लगता है कि हम सबको इस पर काम करना चाहिए। हमारे बापू, महात्मा गांधी का भी यही मानना था, बापू खुद भी शौचालय साफ करते थे और खुद ही स्वच्छता का काम करते थे। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह जो बिल आया है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और सबको लगेगा कि यह हमारा एक मूल कर्तव्य है। यदि हम इसे सिर्फ बोलेंगे और मूल कर्तव्य में नहीं लेंगे तो यह आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि सबसे पहले मूल कर्तव्य में लिखा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र गान का आदर करें। यह यदि मूल कर्तव्य पाठ्यक्रम में आता है, तो अपने आप स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल से हमें शिक्षा मिलती है। इससे एक value system develop होता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि यह मूल कर्तव्य में शामिल हो और स्कूल जीवन से ही साफ-सफाई के काम का सम्मान करने की सीख मिले। यदि हम ऐसा मूल्य उन विद्यार्थियों को सिखाते हैं तो कुछ दिनों में ही, कुछ सालों में ही भारत एक स्वच्छ और सुंदर देश के नाम से सब तरफ जाना जाएगा। जब टूरिस्ट लोग बाहर से आते हैं, तो आप देखेंगे कि जहां-जहां टूरिस्ट प्लेसेज़ हैं, वहां-वहां प्लास्टिक की बोतल और कचरा पड़ा रहता है। काफी बार ऐसा होता है कि हम जो सुंदर स्पॉट देखना चाहते हैं, वहां गंदगी देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मोदी सरकार प्लास्टिक बंदी भी लेकर आयी है। मुझे लगता है कि इस तरीके से गंदगी हटायी जा सकती है, भारत को स्वच्छ किया जा सकता है और यह मूल कर्तव्य में लाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री पी.एल. पुनिया जी।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं आदरणीय वरिष्ठ सांसद प्रभात झा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी तरफ सोचा। वे स्वच्छता के लिए आर्टिकल-51(A) fundamental duties में इसे सम्मिलित करने का सदन के सामने एक प्रस्ताव लाए हैं, जिसके ऊपर आज यहां चर्चा हो रही है। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है कि स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह न केवल हमारे धार्मिक परिवेश में, बल्कि सामाजिक और यहां तक कि घरेलू परिवेश में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आदरणीय प्रभात जी ने गांधी दर्शन का विस्तार से उल्लेख किया और उसमें शांति निकेतन की उनकी विज़िट का भी उल्लेख किया है। जिस तरह से वे अपने आश्रम में स्वच्छता रखते थे, उस तरह की स्वच्छता उन्हें वहां पर दिखाई नहीं दी। उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डा. बिंदेश्वर पाठक जी का भी

[श्री पी.एल. पुनिया]

उल्लेख किया। उन्होंने यह बताया कि किस तरह से उन्होंने एक अभियान के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को चलाया और उन्होंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी पुन: उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन सब प्रयासों के बाद पूरा हिंदुस्तान अब खुले में शौच से पूर्णतया मुक्त हो गया है। सर, Open-Defecation-Free और उन्होंने गांधी जी के दर्शन का उल्लेख किया, यह होना चाहिए था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। डा. बिंदेश्वर पाठक जी का उल्लेख किया, यह होना चाहिए था, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रधान मंत्री जी का संकल्प और स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख किया, यह भी होना चाहिए था, लेकिन उसके बीच यूपीए सरकार के समय के दौरान निर्मल भारत अभियान चलाया गया था और उस अभियान में भी यही कार्यक्रम थे। उसके अंतर्गत भी शौचालय बनाए गए थे और स्वच्छता के ऊपर अभियान चलाया गया था और उसमें ODF गांव का उल्लेख किया गया था। तब ग्राम प्रधान सरपंचों को बुलाकर निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत उनको सम्मानित किया जाता था और उसका आयोजन दिल्ली में होता था। ऐसे प्रधानों को अलग से दस-दस लाख रुपये अनुदान देकर उनको सम्मानित किया जाता था। सर, बहुत से गांव ऐसे हुए, जो saturate हुए और निर्मल गांव के रूप में उनको सम्मानित किया गया। जब इन सब चीज़ों का उल्लेख कर रहे थे, गांधी जी का उल्लेख कर रहे थे, शांति निकेतन का उल्लेख कर रहे थे, बिंदेश्वर पाठक जी का उल्लेख कर रहे थे, प्रधान मंत्री जी का उल्लेख कर रहे थे, तो यह ठीक है, यह होना चाहिए था और जरुरी भी है, लेकिन यूपीए सरकार के द्वारा इसे महत्वपूर्ण अभियान के रूप में चलाया, उसको कैसे विस्मरित कर दिया? यह सही है और आपने कहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह एक राष्ट्रीय महत्व का अभियान है और इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए, तो क्या इसमें राजनीति नज़र नहीं आती? इसका विशेष रूप में उल्लेख करना चाहिए था और मैं समझता हूं कि इस डिबेट का स्तर और इस कदम का और ज्यादा महत्व होता, अगर पूरी पृष्ठभूमि में इसका भी विस्तार से उल्लेख करते, तो वह बहुत अच्छा होता। आपने टॉयलेट्स के बारे में बताया कि जब वे गांव गए, तो रात को कोई नहीं दिखाई दिया। गांव तो हम भी जाते हैं और शाम को जब दिन ढलता है, तो अभी भी महिलाएं खुले में शौच करने जाती हैं। जिन शौचालयों का निर्माण हुआ है, अगर वहां जाकर उनका परीक्षण किया जाए, तो उनमें सामान रखा रहता है, उनमें कंडे रखे रहते हैं। पानी की व्यवस्था अनिवार्य है। शौचालय बिना पानी की व्यवस्था के नहीं हो सकता। जब पूरे गांव में ही पानी नहीं है, तो शौचालयों में पानी कहां से आएगा? सर, किस तरीके से पूरा भारत Open Defecation-Free हो गया, खुले में शौच से मुक्त हो गया, यह मेरी समझ में नहीं आया और आज भी इस तरह की समस्या है। स्वच्छ भारत अभियान केवल सफाई करने, शौचालय बना देने तक ही सीमित नहीं है। हवा का भी अपना महत्व है। पानी की भी स्वच्छता होनी चाहिए, उसका भी अपना महत्व है। दिल्ली में प्रदूषण के ऊपर कल चर्चा हुई थी, वह भी इसी में सम्मिलित है, उसका भी उल्लेख होता, तो ज्यादा अच्छा था। आज यमुना जी के पास जाकर देखें, तो वहां पर दूर-दूर तक कूड़ा फैला हुआ है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यह केवल एक अभियान के रूप में, एक जुमले के रूप में कह देना कि स्वच्छ

भारत हो गया, पूरा भारत Open Defecation Free हो गया और अब तो हमारे देश की मर्यादा और गरिमा इतनी ऊंची हो गई, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह वास्तिवकता से परे है। मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसे Fundamental Duties में सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए सब चीज़ों का उल्लेख करते हुए, सबका सम्मान करते हुए, इसको एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यही करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, पुनिया जी। प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): शुक्रिया, उपसभापति महोदय। स्वच्छता को आज के दिन एक केंद्रीय बिंदु के रूप में चर्चा में लाने के लिए मैं प्रभात जी को व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं शुरुआत करूंगा -

कुछ ऐसा मोजज़ा लब्ज़ों के साथ हो जाए,

जो मैं कहूं, वह जमाने की बात हो जाए।

माननीय उपसभापति महोदय, गांधी जी का बहुत जिक्र हुआ है। पारिस्थितिक स्वच्छता को चाहे इस सरकार ने या पिछली सरकार ने जो impetus दिया, चाहे वह निर्मल ग्राम का मामला हो या स्वच्छ भारत अभियान का हो, समेकित और सम्मिलित प्रयास से ही इस तरह के अभियान, जो कि प्रभात जी की मनोभावना है, कि इस समेकित और सम्मिलित प्रयास इस जन-अभियान का हिस्सा बने, इससे कतई विरोध नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, यह मेरा पहला आग्रह है। स्वच्छता बाकी मुल्कों में क्या मसला है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे मुल्क में स्वच्छता की पूरी जिम्मदारी एक जाति विशेष पर होती है, खास कर सार्वजनिक जगहों की स्वच्छता की। बचपन से छोटे स्टेशन पर बापू की एक लाइन लिखी दिखती थी, जो आप गंदगी फैला रहे हैं, ध्यान रहे कि आप ही जैसा कोई मनुष्य इसे साफ करता है। आप ही जैसा, आप नहीं। यह जो आप जैसे मनुष्य हैं, वे आज भी स्वच्छता अभियान में हैं। मुझे स्वच्छता अभियान का एक सबसे बड़ा critique यह लगा है कि जातिगत आधार को इसके संदर्भ में नहीं लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर आगे भी चर्चा हो। अगर स्वच्छता की हकीकत देखनी हो, मैं मानता हूं कि कई जगह बदलाव हुआ है, तो rail network को जरूर देखा जाए। जब आप ट्रेन में बैठें हों, अगर AC compartment भी हैं, तो खिड़की के बाहर देखिए, platform और platform के इर्द-गिर्द की जगह देखिए, आपको अपने आप प्रमाण-पत्र मिल जाता है कि स्वच्छता को लेकर हमारा गांभीर्य किस पायदान पर खड़ा है। सर, मैं इन बीते कुछ वर्षों में महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस या उनकी पुण्यतिथि पर, अखबारों के माध्यम से या digital platform पर एक खत लिखता हूं, तो अक्सर मैं कल्पना करता हूं। मैं अभी कल्पना करूं कि अगर बापू आ जाएं, हो सकता है कि उनको परमिशन न हो और वे सेन्ट्रल हॉल में भी नहीं आ सकते, क्योंकि वे मेम्बर नहीं रहे थे, अगर वे आ जाएं, तो क्या कहेंगे? पहली बात तो वे हमारी attendance देखेंगे, तो उन्हें

[प्रो. मनोज कुमार झा]

लगेगा कि यह क्या है? दूसरी बात वे यह कहेंगे कि तुम कहां से कहां आ गए हो? सर, मैं छोटी बात कहता हूं, बापू ने 1909 में लिखा कि मेरा राम कौन है? बापू ने लिखा कि मेरे राम सिर्फ दशरथ पुत्र नहीं, बल्कि निराकार, निरंजन हैं। वह गॉड भी है, अल्लाह भी है, खुदा भी है और जेहोवा भी है, हमने उसे बिसरा दिया है। सर, पारिस्थितिक स्वच्छता बहुत आवश्यक है, लेकिन मानसिक स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है। मैं कल ही की बहस देख रहा था, हम लोग एक-दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं। न आप इस देश का बुरा चाहते हो, न हम चाहते हैं। हां, हमारी विचारधारा अलग है और वह होनी भी चाहिए। लेकिन यह जो शत्रुता है, इसकी वजह से मानसिक स्वच्छता बढ़ गई है। सर, अब कमाल है, इस मुल्क में कभी हमें पता नहीं था कि बापू की शहादत, उनकी हत्या और हत्यारे को भी कहा जाएगा कि वह बड़ा महान है, लेकिन हम उसको भी झेल रहे हैं। सर, मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि जिस मुल्क में बापू, पेरियार, अम्बेडकर के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हो और उसकी स्वीकारोक्ति दिनों-दिन बढ़ती जाए, तो पारिस्थितिक स्वच्छता के साथ मानसिक स्वच्छता के लिए भी उतने ही सघन अभियान की आवश्यकता है।

सर, आज संयोगवश विद्यार्थी जीवन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विषय फिर से सामने आया है। सर, मैं तीन चीज़ों का उल्लेख करूंगा। 54A में (e) कहता है, "To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities." यह सवाल हम सब के लिए है। Are we doing that? Are we transcending these barriers or are we creating new barriers every day? This is a question that your posterity, my posterity will ask that when these barriers were being erected between people and communities, why were you silent? We shall be in the custody of history, if not, today, tomorrow.

Second, Sir, 'To value and preserve the rich heritage of our composite culture.' सर, मेरे बचपन में, प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक रहमान साहब थे। वे मुझे अंग्रेज़ी भी पढ़ाते थे, संस्कृत भी पढ़ाते थे और मेरी मादरी जुबान मैथिली भी पढ़ाते थे। आज कहीं रहमान साहब होंगे ऊपर, तो कह रहे होंगे कि तुम लोग कहां आ गए हो उल्टे पांव की यात्रा करते-करते। फिरोज़ खान संस्कृत नहीं पढ़ा सकता है। सर, अगर आप इसको देखें, "To value and preserve the rich heritage of our composite culture', are we working towards that?

सर, मैं अगला लेता हूं, जो बहुत ही निर्गुण सा है, 'To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.' और scientific temper, आप बीते पांच वर्षों के बड़े-बड़े नेताओं के बयान देख लीजिए। सर, अगर आपको उसमें scientific temper का एक प्रतिशत भी मिल जाए, उनकी तलवार मेरा सर। सर, ऐसा इसलिए हो रहा है कि scientific temper को हमने तिलांजलि दे दी है। प्रभात जी, तमाम चीज़ों के बावजूद भी, मैं इस विषय पर आपके साथ शत-प्रतिशत हूं। लेकिन मेरी उम्मीद होगी कि पारिस्थितिक स्वच्छता तभी खूबसूरत

लगेगी, जब मानसिक स्वच्छता हो और मानसिक स्वच्छता का बीते वर्षों में घोर अभाव है। एक तरह से legitimacy मिल गई है, एक तरह से premium मिल गया है, कोई कहता है कि फलां ने ऐसा बयान दिया। यकीन मानिए, दल कोई भी हो, जब ऐसा अशोभनीय बयान आता है, तो मैं यह नहीं सोचता हूं कि कल उसका खंडन होगा। मुझे लगता है कि उसे बड़ा ओहदा मिल जाएगा। जब आपके ओहदे तय कर रहे हैं कि आप कितना घटिया बोल रहे हैं, कितना अश्लील और अशोभनीय बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी साझा संस्कृति, हमारी सोच, हमारी मानसिकता में, ऐसी तब्दीलियां आई हैं कि अगर इसे फौरी तौर पर हमने दुरुस्त नहीं किया, तो इतिहास के कई सारे मूल्क गुनाहगार हैं। उनके सांसदों का जिक्र होता है कि जब ऐसा हो रहा था, जब अंधा युग लाया जा रहा था, तुम क्यों थे, तुम कहां थे? हम सब को एक न एक दिन जवाब देना होगा। सर, आज आप घंटी नहीं बजा रहे हैं।

श्री उपसभापति: झा साहब, आपसे विषय पर बोलने की अपेक्षा है। आप विषय पर बोलें, बस आपसे यही अपेक्षा है। आप प्राध्यापक हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं विषयांतर नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए self-discipline रखा हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

डा. अनिल अग्रवाल: मनोज भाई, आप बोलिए। हम आपके साथ हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया बैठकर बात न करें। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, साथ हैं... लेकिन उस तरह से साथ नहीं है।

श्री उपसभापति: आप आपस में दोनों क्यों बात कर रहे हो? You are supposed to address the Chair.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Final argument, Sir. I think when we talk about bringing this in the Fundamental Duties, we should also look at the possibility of the fact, a kind of self-evaluation that what have we done with regard to Fundamental Duties already listed there. Except for a sham reference, except for a meaningless reference, we have not made it because this entire concept was brought from USSR. सर USSR कभी कोशिश कर रहा था कि जैसे फैक्टरी से चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो समाज भी बनाया जा सकता है। उस आधार पर ये चीज़ें आई थीं, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए। सर, मैंने आपको उदाहरण दिया।

'To safeguard public property and abjure violence', अब इसी कतार में यह भी लिस्ट हो जाएगा। जिसका आज प्रभात जी जिक्र कर रहे थे, मौलिक तौर पर जब जन आंदोलन खड़ा हो और तब जाकर उसको इसमें लिस्ट किया जाए, तब बात बनती है, अन्यथा कोई बात नहीं होगी।

सर, फाइनली आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। पहली बार ऐसा लगा कि घंटी नहीं बजी, लेकिन दिमाग की घंटी बज रही है। सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।

श्री उपसभापति: समय के अंदर बोलने के लिए आपका धन्यवाद। यह अनुशासन बना रहना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर बातचीत के लिए दो घंटे हैं। मैं वक्ताओं को समय दे रहा हूं, इसलिए आप उसमें उदारता को याद रखें। श्री संजय सिंह - अनुपस्थित। डा. सत्यनारायण जटिया।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता की अवधारणा को सार्थक करना और उसको भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित करना, इस बात का माननीय प्रभात झा द्वारा इस विधेयक में प्रस्ताव रखा गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पर अवधारणा ही है कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए, किसी शुभ काम को करने के लिए जब पवित्रता की बात आती है, तो हम जल का ही उपयोग करते हैं और जल को हाथ में लेकर जो मंत्र पढ़ा जाता है, वह इस प्रकार से है -

"ऊँ अपवित्र :पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोअपी वा|

य: स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाहान्तर: शुचि:||"

जो भी अपवित्रता है, जिस प्रकार की भी अपवित्रता है, जो बाह्य दिखाई देने वाली है और जो आंतरिक है, मन की शुद्धता है, तन की शुद्धता है, हमारे यहाँ पर आत्मा की अवधारणा भी है, इसलिए यदि तन-मन शुद्ध हो, तो आत्मा भी शुद्ध होती है, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं। स्वच्छता की यह जो प्रारंभिक अवस्था है - क्योंकि हमारा यह देश तो परंपराओं का देश है।

"हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी,

आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी।

यद्यपि इतिहास अपना ज्ञात पूरा है नहीं,

हम कौन थे, इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं।

भू लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां,

फैला मनोहर गिरि हिमालय, और गंगाजल कहां।

संपूर्ण देशों से अधिक, किस देश का उत्कर्ष है,

उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है।

यह धरती, गंगा, गौ माता, हमारे लिए पवित्रता के पर्याय हैं। हमने धरती के लिए जो कहा है, उसके अनुसार वह धृ है, धातु है, उससे धारण करने वाली है।

"धृति क्षमा दमोस्तेयं, शौचं इन्द्रियनिग्रह:|

धीर्विद्या सत्यं अक्रोधो, दसकं धर्म लक्षणम||

यह धृ है, उसमें धारण करने की क्षमता है, इस धारण करने की क्षमता में शुद्धता को सन्निहित करना है, इसलिए यह बात स्वच्छता अभियान की है। स्वच्छता अभियान के क्या मायने हैं? शारीरिक

स्वच्छता। पहले व्यक्ति की स्वच्छता, फिर आवास की स्वच्छता। महोदय, आजकल तो आवास के अंदर ही प्रात: काल की सारी प्रारंभिक विधियों को करने की सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। एक समय था जब ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी, इसलिए वहाँ की भी स्वच्छता, फिर अपने घर की, हम जिस परिवेश में हैं, वहाँ की स्वच्छता आदि इसके अंतर्गत आती हैं। इनको करने के लिए एक संस्कार की आवश्यकता है और वह संस्कार परिवार के जो प्रमुख हैं, उनके मार्गदर्शन में आता है। ऐसे परिवार के प्रमुख के मार्गदर्शन में जो संस्कार है, उस संस्कार को जन्म से ही धारण किया जाता है। मैं देखता हूं कि उन परिवारों में, जिनमें इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है, उनमें ये सारी स्वच्छताएं हैं स्वत: ही हो जाती है। और वह व्यक्ति आगे जीवन में भी कुछ अच्छा कर सकता है। जहाँ अस्त-व्यस्तता है, वहाँ कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए स्वच्छता के सारे काम में हम देखते हैं कि इन सारी बातों को करने की दृष्टि से श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत अभियान के लिए साफ-सफाई की आवश्यकता है। जब हम पढ़ते थे, तो hygiene की बात होती थी। जब हम स्कूल जाते थे, तो हमारे नाखून की जाँच भी की जाती थी। आपने ड्रेस कैसी पहनी हुई है, उसको देखा जाता था। चूँकि मेरा मिलिटरी स्कूल हुआ करता था, तो उसमें आपकी ड्रेस कैसी है, यह भी देखा जाता था। उसी के ऊपर सम्मानित करने की परंपरा चलती थी। अच्छी ड्रेस होने के कारण उसको सम्मानित भी किया जाता था। इस प्रकार से यह जो संस्कार है, यह हमारे विद्यालयों में भी यदि प्रारम्भ में इस प्रकार का संस्कार पैदा होता है, तो निश्चित रूप से यह संस्कार आगे तक जाता है। इसलिए हमारे विद्यालय की शिक्षा में यह जो सामान्य hygiene है, यह जो सामान्य स्वच्छता है, इसका संस्कार देने के लिए उपाय करना चाहिए, जो अभी हमें नहीं दिखाई देता है।

फिर हमारे यहाँ गाँव का जो परिवेश है, उस परिवेश में हमने आँगनवाड़ी और बाकी बातों की शुरुआत की है। अब आंगनवाड़ी में जो शुरुआत की गई है, उसमें गाँव के परिवेश में स्वच्छता लाने के लिए क्या उपाय करना है, तो निश्चित रूप से उस प्रकार के प्रशिक्षण और सामान्य सुविधाओं की वहाँ पर आवश्यकता है। मैं आंगनवाड़ी के कई केन्द्रों को देखने के लिए गया हूँ, किन्तु ये जो केन्द्र बने हुए हैं, वहाँ पर चूँकि सरकारी भवन भी नहीं हैं, पक्के मकान भी नहीं हैं, कहीं किराये के मकान पर सारे केन्द्र चलते हैं, तो न तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था है और न बाकी की व्यवस्थाएँ हैं। इस प्रकार से हमारी जो अवधारणा है, इस पर हम कितना ध्यान देते हैं, ये सारी बातें हैं।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाने का एक बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने उसमें स्वयं काम किया। अभी हम गाँधी संकल्प यात्रा में गाँव-गाँव में जाकर स्वच्छता अभियान में भाग लेने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हर गाँव में जाकर हम यह संदेश देने का काम करते हैं। गाँधी जी का जो सत्य और अहिंसा है, उसमें यह जो सत्य है, उसमें स्वच्छता भी है। स्वच्छता है, तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर बौद्ध वाक्य है - 'सत्यमेव जयते', सत्य की ही विजय होती है, 'नानृतम्', असत्य की नहीं होती है। 'सत्येन पंथा विततो देवयान:', चूँकि यह दिव्यता का मार्ग है, 'यत्र तत् सत्यस्य परमम् निधानम्', तो यह परम समाधान का भी मार्ग है। इन सारी बातों का जिस तरह से हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है, इस प्रशिक्षण में यह जो सत्य है, इस सत्य के लिए स्वच्छता है, स्वच्छता के लिए ये जो सारे उपाय हैं, उनको करने की हमें आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से ये उपाय किए गए हैं।

[डा. सत्यनारायण जटिया]

हमारे अपने संविधान में जो मूल कर्तव्य दर्शाए गए हैं, उन मूल कर्तव्यों में जो बातें कही गई हैं, उनमें निश्चित रूप से कहा गया है कि हमारे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। अब एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक संकल्प की आवश्यकता है और यह संकल्प हमने Preamble में व्यक्त किया हुआ है। इसलिए इस Preamble में जो बातें कही गई हैं, उस Preamble को मानने के लिए, संकल्प को पूरा करने के लिए भी निश्चित रूप से मानस बनाना होगा। जैसे कहा गया है, "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens: Justice -- social, economic and political". अब हमने यह जो कहा है, उसमें भी ये सारी बातें हैं। इसलिए स्वच्छता का जो दायरा है, वह कोई ऐसा नहीं है कि वह केवल देखने वाली साफ-सफाई है या बाह्य साफ-सफाई है, परंतु हाँ, यह है। इसलिए हमारे concept में, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में शहरों को आदर्श शहर बनाने की जो कल्पना चली है, उसमें हम देख रहे हैं कि वे स्वच्छता अभियान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। पहले एक समय ऐसा हुआ करता था कि यह sense नहीं आया था, यह विचार ही नहीं आया था। यह विचार नहीं आया था, इसका मतलब है कि इसको किसी ने प्रेरित नहीं किया था। किन्तु 2014 में जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने यह स्वच्छता अभियान चलाने का काम किया, इस स्वच्छता अभियान के लिए स्वयं हाथ में झाड़ू लेने का काम किया, तो हजारों-लाखों लोगों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर इसकी शुरुआत की। अब यह जरूरी नहीं है कि हमने हाथ में झाड़ू लिया, तो पूरी सफाई हो जाएगी। मेरे मन में आ गया कि इसको स्वच्छ बनाने के लिए जो भी उपाय मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मेरी ओर से इस प्रकार के काम में कभी इस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए।

उस संकल्प को पूरा करने और संस्कार देने का काम हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। इसके लिए निश्चित रूप से उनका अभिनन्दन करना चाहिए। यह श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने उपाय किया है। आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती स्वच्छता की भी है। हम स्वच्छ पानी की बात करते हैं, कल हमने प्रदूषण के बारे में भी बात की थी। ये सारी बातें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य जिन्दा है, तो जिन्दा रहने लायक परिस्थितियां भी बननी चाहिए। मनुष्य के जीने की परिस्थितियों में सबसे पहले जल और वायु आते हैं, इसके बाद जहां हम रहते हैं, वहां की परिस्थितियां आती हैं। इन सारी चीज़ों की स्वच्छता और शुद्धता रखने का काम हमको करना होगा। सारी चुनौतियों को स्वीकार करने की दृष्टि से माननीय प्रभात झा जी ने एक अच्छा उपाय सुझाया है। निश्चित रूप से इसको सम्मिलित करने के लिए यदि सरकार आश्वस्त करती है, तो वह एक बहुत बड़ा कदम होगा। चूंकि अब यह एक अभियान का रूप ले चुका है और लोगों तक पहुंच रहा है। निश्चित रूप से इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। इसमें सत्य, अहिंसा इत्यादि बातें कही गई हैं। हमारे धर्म में जो पांच बातें बताई गई हैं, वे हैं - सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। ये सारी बातें एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण की ओर संकेत करती हैं। एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करने के लिए सत्य

और अहिंसा को इसके साथ जोड़ा गया है। ये सब बातें संस्कार दिए बिना संभव नहीं होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चुनौती को पूरा करने की दृष्टि से ही हम सब उपाय करेंगे।

"संसार की समरस्थली में वीरता धारण करो।

चलते हुए निज इष्ट पथ पर, संकटों से मत डरो।।"

इसमें आलोचना की गुंजाइश कहां है? संस्कार देने के नाते हमने गांव में सुविधा देने की बात कही है। आपको पता है गांव में शौचालय की सुविधा न होने से, रात के समय में महिलाएं किस प्रकार से उन सारी बातों को घर के अंदर ही करने के लिए विवश हो जाती हैं। आप सबको इसकी कल्पना होगी, चूंकि आप भी गांव के परिवेश से आते हैं और मैं भी आता हूं। जिसका एक ही कमरे का घर है, उसी घर में, एक बर्तन के अंदर ही महिलाओं को लघुशंका करने और बाकी सब कुछ करने में कितना मुश्किल होता होगा, क्या आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते? यदि हर घर में शौचालय बनाने की कोशिश की गई, तो क्या सब के सब खराब हो गए और सबमें सामान भर दिया गया? हमारी यह अवधारणा नहीं होनी चाहिए। हमने अच्छी शुरुआत की है। इस अच्छी शुरुआत में और क्या जोड़ा जा सकता है, इसमें हमें योगदान देना चाहिए। जो अच्छी शुरुआत की गई है, उसकी सराहना करने में निश्चित रूप से इस सदन को कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि वह बात कही भी गई है, तो आपका ध्यान दिलाने के लिए कही होगी। मकान कितना बड़ा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, इसके लिए सरकार मदद कर रही है। गांवों में भी घर बनाने के लिए सरकार सहायता करने का काम कर रही है। शहरों में तो सहायता हो ही रही है। शहरों में इसके लिए ढाई लाख रुपये तक की मदद की जाती है। निश्चित रूप से इसमें शौचालय का प्रावधान भी है। अब कोई व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में आ गया और किसी को शौच जाने की आवश्यकता पड़ गई, तो वह कहां जाएगा? इसके लिए जगह-जगह सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम हुआ है। यह प्रारम्भ है, जिसके माध्यम से एक संकेत देने का काम किया है। इन सारी बातों को हमें एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, एक संस्कार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यदि हम इन्हें स्वीकार करेंगे, तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

"संसार की समरस्थली में वीरता धारण करो।

चलते हुए निज इष्ट पथ पर, संकटों से मत डरो।

अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो।।"

अधीरता के साथ नहीं, अति धीरता के साथ। यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां अति धीरता, अर्थात् धैर्यपूर्वक बढ़ने की बात कही गई है।

"विपत्तियों के वार सारे वीर बन करके सहो।

भय-बाधाएं मुक्त हो जाएंगी, होगी सफलता अंत में।

फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहुं ओर दिगदिगंत में।।"

एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है, उसको हम अवश्य प्राप्त कर सकेंगे, इसी विश्वास के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि महात्मा गांधी जी को आने से रोक दीजिए, चूंकि जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था, वे स्वयं ही चले गए।...**(व्यवधान)**... ठीक है, आ गए हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: राकेश जी, चेयर की ओर देख कर बोलें।

श्री राकेश सिन्हा: उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जो बातें श्री प्रभात झा जी ने उठाई हैं, उनमें से दो बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगीं। उन्होंने कहा कि मानसिक प्रदूषण नहीं होना चाहिए और विमर्श में स्वच्छता होनी चाहिए। इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था, जमींदारों की जमींदारी चली गई थी और सामान्य लोगों को जमीन मिल गई थी, जो उनके असली रैयत थे, तो जमींदारों को यह लगता था कि ये सामान्य लोग असभ्य व्यवहार कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में जब वैकल्पिक राजनीति ने आधिपत्यवादियों के आधिपत्य को समाप्त कर दिया, तो उन्हें ऐसा लगने लगा और वे घड़ी की सुई 30 जनवरी, 1948 से आगे ले जाना नहीं चाहते हैं।

मैं एक घटना का जिक्र करके इस विषय पर आऊँगा। वह एक बहुत छोटी घटना है। भारत सरकार के अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत जब चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में आये, तो कांग्रेस के उन लोगों को जो नौकरशाही 'गुंडा' कह कर फाइलों में लिखती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं कहा जाता था, धरना-प्रदर्शन में जो कार्यकर्ता गिरफ्तार होते थे, पुलिस रिपोर्ट करती थी कि '22, 25, 90, 200 गुंडे पकड़े गये', उनके अनुसार वे गुंडे जब मंत्री बने, तो ब्रिटिश नौकरशाही को वे गुंडे अच्छे नहीं लगते थे। भारतीय राजनीति में उसी औपनिवेशिक काल में जो परिवर्तन हुआ, वही परिवर्तन हो रहा है। आप उस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। विमर्श की जिम्मेदारी साझी होती है, साझी जिम्मेदारी के साथ चलिए और देखिए, भारतीय राजनीति पुन: 50-60 के दशक के रास्ते पर चलेगी।

अब मैं स्वच्छता के ऊपर आता हूँ। मैं प्रभात झा जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस विषय को उन्होंने आज उठाया है, वह असामान्य क्यों है? उसको आप जोड़ दीजिए महात्मा गांधी के साथ। 1920 में जब कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में साम्राज्यवाद के विरोध में एक consolidation की अवस्था से गुजर रही थी, उस दौरान महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा की। 1930 में आकर वे रचनात्मक कार्यक्रम इस देश का अभिन्न हिस्सा बन गये। आप कल्पना कीजिए कि जब देश में अंग्रेजों को हटाना ही एकमात्र उद्देश्य था, उस वक्त महात्मा गांधी कह रहे थे कि "हम हरिजनों के बीच यात्रा करेंगे, दलितों के यहाँ या अनुसूचित जाति के घर जाकर हम यात्रा करेंगे, जिसको उस समय 'हरिजन यात्रा' कहा गया, हम स्वच्छता का अभियान चलायेंगे।' उस समय भी ऐसे लोग थे, जैसे आज कुछ लोग नरेन्द्र मोदी जी की जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, उस समय भी महात्मा गांधी को, ऐसे लोग थे, जो कहते थे कि "जब एंटी-ब्रिटिश मूवमेंट चल रहा है, तो महात्मा गांधी जुमलेबाजी कर रहे हैं।" वास्तव में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राजनीति को वह पूर्ण सम्पूर्णता दी है, जिस सम्पूर्णता को पिछले 5 दशकों में छीन लिया गया था। Post-Mahatma Gandhi era में राजनीति की एक स्वायत्तता बना दी गयी थी,

electoral politics, बना दी गयी थी। राजनीति का मतलब था- electoral politics, राजनीति का मतलब सत्ता में बैठना, विपक्ष में बैठना, संसद और विधान सभाओं में बैठना, प्रशासन के साथ व्यवहार करना, समाज को एक रैयत की तरह देखना। नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक सरोकारों को राजनीति से जोड़ने का काम किया है, यानी राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में जो एक लाइन खींच दी गयी थी, उसे समाप्त कर दिया गया। जैसे मनोज झा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक जाति-विशेष को समाज की सफाई की जो वंशानुगत जिम्मेदारी दी गयी थी, इन पाँच वर्षों में जिस मात्रा में उसे समाप्त करने की कोशिश की गयी है, शायद पिछले 7 दशकों में नहीं की गयी। जब देश का प्रधान मंत्री झाड़ू उठाता है, देश का सांसद झाड़ू उठाता है-- मैं स्वयं चकित था। मैं राजनीति में एकदम नया हूँ, नवजात शिशु की तरह हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के बाद मैं एक गाँव जाऊँगा। उस गाँव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वे क्या नारे लगा रहे थे? वे 'पार्टी का जिन्दाबाद, व्यक्ति का जिन्दाबाद' के नारे नहीं लगा रहे थे। वे 'प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे', 'गाँव को स्वच्छ बनायेंगे, हिन्दुस्तान को स्वस्थ बनायेंगे' के नारे लगा रहे थे। भारतीय राजनीति में यह परिवर्तन 1930 के दशक में जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम के आधार पर देश को एक जनान्दोलन में तब्दील कर दिया था, अंग्रेजों को तो बाहर करेंगे, साथ-साथ अपने-आपको भी अनुशासित करेंगे। अनुशासन की सीमा में स्वच्छता है, अनुशासन की सीमा में समरसता है। जिस समरसता की बात प्रभात झा जी कर रहे थे, उस समरसता का तात्पर्य है, समानता से एक कदम आगे बढ़ना, बराबरी का अधिकार देना, गैर-बराबरी को समाप्त करना, लेकिन उसके साथ मन की गैर-बराबरी को समाप्त करना। अगर भौतिक गैर-बराबरी को समाप्त करते हैं, तो वह समानता होती है, जब मन की गैर-बराबरी को समाप्त करते हैं, तो वह समरसता होती है। नरेन्द्र मोदी जी उसी समरसता, उसी स्वच्छता को भारतीय राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया।

उपसभापति महोदय, मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, वह विद्यालय वनवासियों के बीच था, नेतरहाट विद्यालय। हर रविवार को हम उन वनवासियों के घरों में जाया करते थे। हम उसको घाटी बोलते थे, जब हम पठार से नीचे जाते थे, उसे घाटी बोलते थे। हम एक-एक घर में जाकर देखते थे उनका स्वाभिमान, उनका समरस व्यवहार, उनका स्वावलम्बन और उनकी स्वच्छता। यदि हिन्दुस्तान को स्वच्छता, स्वावलम्बन और समभाव सीखना है, तो भारत के उन वनवासियों, जिन्हें आप आदिवासी कह दें, वनवासी कह दें, गिरिजन कह दें, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए।

उपसभापति महोदय, शहरीकरण की प्रवृत्ति ने, शहरों की ओर लोग जो कूच करने लगे और इससे जो सामुदायिक जीवन समाप्त होने लगा, इस सामुदायिक जीवन के समाप्त होने के कारण हमारी निर्भरता राज्य पर बढ़ती गई। स्वच्छता का दायित्व जैसे किसी विशिष्ट जाति के लोगों पर था और यह सदियों से चलता रहा, हम दशकों से विमर्श करते रहे और बार-बार कहते हैं कि हमने एक कदम आगे बढ़ाया, एक रेडिकल स्टेप की जरूरत है, स्वच्छता की जिम्मेदारी किसी एक जाति विशेष की नहीं होनी चाहिए, एक गोत्र विशेष के लोगों की नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता की जिम्मेदारी साझी है, इसलिए इसे जाति, सम्प्रदाय से ऊपर उठ कर देखना चाहिए।

[श्री राकेश सिन्हा]

उपसभापति महोदय, मैं और दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। कई वक्ताओं को बोलना है। मैं भारतीय राजनीति में एक और परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करता हूँ। हम जिस सदन में बैठे हुए हैं, उसकी बड़ी गंभीर जिम्मेदारी है। मुझे प्रसन्नता है कि सदन के 250वें सत्र में हम ऐसे विषयों को लेकर बहस कर रहे हैं, जो राजनीति से इतर है। सिर्फ भावनात्मक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर हमारा विमर्श होता रहा, उसकी अपनी जरूरत है, अपनी सीमाएं हैं, लेकिन गैर-राजनीतिक विषयों पर, जिस पर हम और विपक्ष के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर नहीं रह जाता है। आज पृथ्वी संकट में है, पर्यावरण संकट में है, जलवायु संकट में है, अनेक प्रकार की नई-नई बीमारियां फैल रही हैं, नई पीढ़ियों की दशाएं बदल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वच्छता भी एक ऐसा विषय है, जिस पर कम से कम मैं विपक्ष से अपील करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का वह प्रयास, जो गोवर्धन पर्वत उठाने से कम बड़ा प्रयास नहीं है, लोगों का मन बदलना, लोगों की आदतें बदलना, प्रशासन, राजनीति और समाज के बीच के अंतर को समाप्त कर देना और उस साझेपन के साथ एक परिवर्तन के चित्र को दुनिया के सामने रखना, यह हमारी आज की आवश्यकता है। एक ऐसा समय आता है, जब हम पक्ष और विपक्ष के अंतर को समाप्त कर दें। मैं दो और छोटी बातें इसमें जोड़ देना चाहता हूँ तीस-तीस सेकंड में। टेलीविजन डिबेट में जाने के कारण हम तीस सेकंड का ही एक्स्ट्रा समय मांगते हैं।

उपसभापति महोदय, जब गांव और शहर के बीच में दो प्रकार के प्राधिकरण काम करते हैं, शहर के प्राधिकरण को स्वच्छता रखने के लिए इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आप बताइए कि किस पंचायत के लिए, किस गांव के लिए कौन सा प्राधिकरण काम करता है? गांव की सफाई शहर की सफाई से कम नहीं होगी, इसलिए राज्य की प्राथमिकताओं में गांव की सफाई के लिए शहर की तुलना में जितना बजट देने की आवश्यकता है, देना चाहिए, पंचायतों को और स्वावलम्बी बनाना चाहिए, क्योंकि शहर की स्वच्छता इस देश की स्वच्छता को सुनिश्चित नहीं कर सकती है, जब तक कि गांवों तक बात नहीं जाती है। महोदय, तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि आधिपत्य टूटने के कारण भारतीय राजनीति में गैर-बराबरी टूटी है। मैंने देखा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान प्रधान मंत्री बनते ही शुरू किया। उन्होंने तीन-चार मुद्दों को उठाया, जैसे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", स्वच्छता, पर्यावरण, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि केन्द्र में जल शक्ति नाम से मंत्रालय होगा और एक मंत्री जल शक्ति के नाम से होगा। आज से पाँच साल पहले यह हमारी कल्पना में भी नहीं था। मैं मानता हूँ यदि हम पहल के साथ, जनप्रतिनिधि के नाते एक कदम बढ़ाते हैं, तो समाज दस कदम बढ़ाता है। यदि हम जनप्रतिनिधि के नाते अपने अस्पतालों के पास, अपने विद्यालयों के पास और अपनी सड़कों की सफाई की थोड़ी-सी पहल करते हैं, तो संभवत: यह अभियान सफल होगा। यह अभियान भारतीय समाज का, भारतीय राज्य का, भारतीय सरकार का, भारत के जन का अभियान है। हमें राजनीति से दूर रहकर इस अभियान में साथ चलना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरंभ कराने के लिए मैं प्रभात झा जी का फिर से अभिनंदन करता हूँ।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, अभी इस विषय पर बोलने के लिए पाँच वक्ता हैं। इसके बाद माननीय मंत्री जी बोलेंगे, फिर मूवर रिप्लाई देंगे। हमें दो घंटे के अंदर साढ़े चार बजे तक इसे संपन्न करना है, इसलिए आने वाले वक्ताओं से मेरा आग्रह है कि तीन-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करें।

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, the Private Member Bill brought by Shri Prabhat Jha *ji* is not just a practical thing. But it is the necessity of the day. I agree with it. We all should think about *Swachh Bharat, Swasth Bharat* and a clean Bharat. It is the necessity of the day. In fact, this was started during the tenure of the UPA Government by Dr. Manmohan Singh when he was the Prime Minister of this country. *Nirmal Bharat Abhiyan* was one of the flagship programmes of the UPA Government. Today, it has taken so many different shapes and we are discussing the Bill to include this in the Fundamental Duties of our Constitution. We have to think of our tradition. The Indian society has travelled such a long distance in thousands of years. Whom have we given this job of *Swachh Bharat* or *Swachh Samaj?* There were four varnas. , Brahmins would only gain knowledge. *Kshatriyas* would look after the security of the country. *Vaishyas* would take care of the business part of the society. *Shudras* would work for the welfare of the whole people as the *sevak. Shudras* were only doing the work of the *sevaks*. There was one more category called *avarnas* or *panchmas* whom this work was allotted as per our tradition. The *panchmas* are now called *pourakarmikas* or scavengers. They have been allotted the cleaning job of this country. Swami Vivekananda said that if by any chance the *pourkarmika* community goes on strike for one week, the whole country will suffer a big stroke and thousands and lakhs of people will die if they go on strike for a week.

That is what Swami Vivekananda said. How have we taken care of them? That is the big question to be asked today. Have we taken care of them? First of all, what is their cleanliness? Have we taken care of them? Have we taken care of them as human beings? We have never taken care of them as human beings. We have treated them worse than animals and birds. In our tradition, I think, all of you know, birds and animals are gods, but not the human beings. They were never treated as human beings at all. Dog is a god and every other alternate bird is a god in our tradition but human beings are treated very, very badly and never treated like human beings at all.

Sir, now, when the question of cleanliness comes up in discussions like Swachh Bharat, we always take the name of Gandhiji. Gandhiji is one character whom we can fit anywhere in the history. The person who killed Gandhiji is now talked more than

[Dr. L. Hanumanthaiah]

Gandhiji. I don't know why. People who worship Gandhiji could not follow Gandhiji. That is another part of it. A very interesting part is, people are trying to build temple in the name of Godse and chanting the mantras of Gandhiji. Sir, what is this paradox? I am shocked to know this. The same people who killed Gandhiji are thinking of a healthy society. Today, we want to create a healthy society and while talking about Swachh Bharat, we are talking about Godse who killed the father of healthy society. Sir, what is this? I want to give one example about Gandhiji. Are we following Gandhiji sincerely or are we only chanting mantras of Gandhiji or the name of Gandhiji? That is my question. ...*(Interruptions)*... Please listen to this. You can definitely react. I am open to that.

In his Ashram, Gandhiji was a very practical man. When a brahmin went to his Ashram, he used to send him to clean the toilets; when an SC or ST person went to his Ashram, he used to send him to prepare food for his Ashram people. That was Gandhiji. Once it happened like this. An untouchable family was outcast; they were thrown out of the village. That family went to Gandhiji's Ashram. They were standing outside, requesting him to allow them to stay in his Ashram. Gandhiji had his own written formulas. What were the conditions to be a member of Gandhiji's Ashram? That untouchable family fitted in everything. But the person who was feeding in that Ashram told Gandhiji that if he allowed that untouchable family into the Ashram, from the next day, he would stop giving food to the Ashram people. It became a very big problem for Gandhiji. He thought if he did not admit that family, he would not do justice to his own soul; he would not be happy and he would do injustice to that family; and if he allowed them, from the next day, all the Ashram people would have to starve and have no food. In the evening, Gandhiji decided to admit that untouchable family into his Ashram. He said that from the next day onwards even if he has to beg or starve, he would not mind, but there was no reason for him to say no to that untouchable family. That was the purity of Gandhiji. Sir, are we following any rules of Gandhiji today? We deny minimum wages. This is a very good discussion to highlight the present situation. There are people in this country who carry human excreta on their heads even today. The Government statistics say that more than two lakh persons are doing this kind of menial job.

Sir, are we giving minimum wages to these people? We want to include this into the Fundamental Duties of the Constitution. The other part I wanted to bring to your

notice is this. What are the provisions of the Constitution as of date and how is this society following it? We are hypocrites of the highest order. I want to tell this without any shame. The society and the people of this country are hypocrites of the highest order.

I want to give one simple example. Article 17 of the Indian Constitution says that untouchability is prohibited. If anybody practices it in any form, he would be punished. If this one Article 17 of the Indian Constitution is implemented in its true spirit, I take a bet, around 50 crore to 60 crore people would have to be sent to the jail, and I am finding the whole Bharat as an open jail. I visualize that if this one Article is going to be implemented. We are so much against the provisions of the Constitution, and every day we want to include one by one into the Constitution. We have taken the Constitution for a ride. That is what Baba Saheb Ambedkar was telling. Every other day now people are complaining that we take the Constitution for a ride. Sir, there are two things. I come from Karnataka which is the land of Basavanna, who was a great saint in the middle era India. The whole *Vachanakaras* were the followers of Basavanna. They told that one is *Antaranga* and the other one is *Bahiranga. Antaranga* is the one where you have real love and real preaching on God, if you really believe it. If people like me, who do not believe it, that is a different thing but for those who believe God should truly believe and truly pray. Sir, if you pray to God from your inner heart, by your inner eye, that is the real puja. But what is happening today? Are we doing that? Do we have anything sacred on that? Today, I tell you, the puja, the *bhakti* has become a *Bahiranga.* It has become commercial.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have one more speaker from your Party.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, I am concluding. Sir, if the *puja* and your *bhakti* has become a public activity, it would not be a real *puja* and real *bhakti*. You are not doing any prayer to the God. You are only using the God for your personal ends. That is what is happening today. But our Basavanna told that if one is a real man of duty, he would always pray God by his inner soul and inner opening. He would not exhibit the *bhakti*, he would not exhibit the prayer of God. He would not exhibit any Gods in public but today we are trying to build the temples but not showing the *bhakti*. Basavanna told that your body is a temple. That is the real temple. You should keep it clean.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hanumanthaiah, only six minutes are left for the other colleague.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, in another half-a-minute, I would conclude. Please allow me for half-a-minute because Basavanna should not be cut in this place. Sir, I wanted to tell that Basavanna told that our body is the real temple. Please keep it clean. Please do *puja* for your own self, not to show in the public. It should not be an ornament.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute is over. Now, I would stop you.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Lt. Gen. (Dr.) D.P. Vats (Retd.), आपकी पार्टी का समय खत्म हो चुका है, इस लिए बहुत कम समय में आप अपनी बात कहें।

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त) (हरियाणा): माननीय उपसभापति जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे इतने vast topic पर बोलने का समय दिया। *Swachh Bharat Abhiyan* touches all the aspects of society, of life and even this Parliament.

किसी शायर ने कहा है

"खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली,

न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का।"

आज बहुत अच्छी बात है कि हमें across party lines स्वच्छता का ख्याल आया और स्वच्छता में एक बहुत ही बढ़िया बात dignity of labour उभर कर सामने आई है। अगर हमारी dignity of labour शुरुआत से ठीक होती, ... तो यहां पर जातिवाद का जिक्र किया गया, यहां पर गुलामी का जिक्र किया गया, अस्पृश्यता का जिक्र भी किया गया, तो मैं कहता हूं कि अगर dignity of labour बरकरार होती, तो हमें यह face नहीं करना पड़ता। मैं कसौली कंटोन्मेंट में as a Junior Officer posted रहा हूं, तो वहां लिखा हुआ था- 'Indians and dogs not permitted' यानी एक ऐसी भी कौम थी, who created us like that और मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं कि like a true soldier of Swachhta, he is leading with personal example or must say personal example of leadership in cleansing the country; in cleansing the society and in cleansing our thoughts, also including our health. महात्मे जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि स्वच्छता अभियान की implications सेहत पर हैं। As a commandant of a medical education institution, first of all, I used to give highest award to the Safai Karamcharees and I demand from the Government here कि सफाई कर्मचारी का वेतन भी बढ़ाएं और मैं तो कहता हूं कि उनका बहुत high वेतन करें। एक बड़ी बेहतरीन बात यह हुई कि मैंने कहा कि dignity of labour restore होने से caste system का गंद साफ होने लगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अभी हमारे माननीय डा. साहब बोल रहे थे, उपसभापति जी through you मैं कहूंगा कि महान आत्माओं, महान इंसानों पर जैसे गांधी जी थे, बाबा साहेब थे, उन पर किसी पार्टी विशेष या जाति विशेष का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। वे सभी के थे और हम सभी को

उनसे सीख लेनी चाहिए । कि इसमें We should cut across party lines. Now, I am coming to my State, Haryana. हरियाणा का स्वच्छता में nation में काफी ऊपर नंबर है। मैं तो कहूंगा कि सिक्किम का पहला नंबर होना चाहिए था, लेकिन पहला नंबर हरियाणा को दिया गया है और माननीय मोदी जी ने जैसे 2 अक्टूबर, 2014 और अब 2019 को यह अभियान शुरू किया।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया**) *पीठासीन हुए*]

मैंने उसमें participate किया था। मैंने अपने MPLADS से संस्था को पे भी किया था। मैंने ट्रॉलीज भरने के लिए और बहुत से कामों के लिए पूरे गांव को भी लगाया था, जहां मैं रहता हूं। सर, हरियाणा कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम है। सर, कन्या भ्रूण हत्या के जिक्र की वजह से श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने skewed sex ratio का जिक्र भी किया था। हरियाणा उनकी mother State है और दिल्ली उनकी foster State है। उन्होंने surrogacy बिल में ऐसा जिक्र किया था। मगर इस कन्या भ्रूण हत्या का एक social implication यह हुआ कि हमारा skewed gender ratio तो हरियाणा ने improve कर लिया और we are near normal. मगर कन्याओं की कमी हो गई और खासकर पांच जातियों में कमी हुई, जो अपने आपको upper caste कहते हैं और इतनी कमी हुई कि उन्हें ढाई लाख कन्याएं बाहर से लानी पड़ी और हरियाणा ने उन कन्याओं को अपने समाज में जज़्ब कर लिया। जब ऐसा हुआ तो खाप पंचायतें, जिनका मैं National Convener हूं, हमने कहा कि जाति-पाति तोड़कर जिन जातियों में कन्याएं कम हैं, आप उन जातियों की कन्याएं ले लें, इससे जाति-पाति खत्म हुई और मैं कहता हूं कि district-wise maximum inter-caste marriages आज के दिन हरियाणा में हैं।

मैं dignity of labour का जिक्र करूंगा। मैं Maharaja Agrasen Medical College, Agroha का Advisor General था। वहां जब स्फाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, तो एक जाति विशेष ने तो यह कहा कि हम इसमें दूसरी जाति के लोगों को नहीं आने देंगे। मगर मैंने वहां ब्राह्मणों और जाटों के बच्चे भी भर्ती किए, ताकि dignity of labour restore हो। जब dignity of labour restore होगा, तो जाति-पाति का गंद भी साफ होना शुरू होगा। झा साहब ने मानसिक स्वच्छता की बात कही थी। हम आपसे बिल्कुल agree करते हैं। मैं तो कहता हूं कि it is the first duty because it is a question of Fundamental Duties in Article 51A and duties have been enumerated by Shri Prabhat Jhaji. But your first duty becomes to keep yourself fit. हम तो एक special discussion लाना चाहते हैं - 'Lifestyle Diseases in Parliamentarians or Politicians'. But at the same time to keep fit स्वच्छता बहुत जरूरी है। भारत को मोदी जी की रहनुमाई में स्वच्छ होना पड़ेगा और इतना स्वच्छ होना पड़ेगा जैसे सिंगापुर है, जैसे हमारा सिक्किम स्टेट है और बहुत सी other countries हैं। मुझे बड़ा खेद होता है, मैं फ्रांस में था, तो वहां claim किया गया कि इस मुल्क में मच्छर और मक्खियां नहीं हैं। मैं एक भारतीय ढाबे पर, जिसे hotel भी कह देते हैं, खाना खाने गया।...(**समय की घंटी**)... वहां मैंने मक्खी देख ली। Holland में भी देखी, France में भी देखी, चाहे वह food की ऐसी सुगंध के कारण आ जाती है। मैं यह जरूर कहता हूं कि मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया है और हम स्वच्छता अभियान

[लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स]

में लगे। हमने MPLADS से पैसे भी दिए। अगले ही दिन सारी जातियां लगाई, गांव का सरपंच लगाया, जहां से सफाई की थी वहां अगले ही दिन उतना ही कचरा पड़ा हुआ मिला। Not only that जो हरियाणा में अपनी टिकट के दावेदार थे, मैंने उनको भी कहा कि इनके घर की सफाई देखो, इनके घर के समाने कचरा पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगले ही दिन उनके घर के सामने कचरा आ गया, तो मैं यह कहता हूं कि जब पूरा समाज, पूरा नेशन, पूरी पार्टीज़, इस स्वच्छता अभियान में शामिल नहीं होंगी and if you do not take pride in our health, our स्वच्छता, our society, our nation, then merely leading with personal example will have lacunas. समाज को हमारे साथ, नेता के साथ होना पड़ेगा, जिससे यह स्वच्छ भारत हो सके। मैं तो यह भी कहूंगा कि जब आप स्वच्छ होंगे, तो स्वच्छ administration भी बहुत जरूरी है। जैसे corrupt लोगों को जबरन retire किया जा रहा है, मैं तो इसे स्वच्छता अभियान का एक पार्ट ही कहूंगा है। वर्ना स्वच्छता अभियान के पैसे भी ये corrupt लोग खा जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी बहन भी वेट कर रही हैं, इन्होंने भी जाना है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपने बहुत बोला है। स्वच्छता अभियान सफल हो।

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त): टूरिज्म का भी नाम लिया गया। मैं तो कहता हूं कि अगर हमने स्वच्छता achieve कर ली और हम स्वस्थ भी हो गए, हम मानसिक तौर से भी clean हो गए, तो हमारी economy भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वच्छ मुल्क में लोग सैर-सपाटा भी करने आएंगे, tourism करने आएंगे और यहां होटलों में रहकर pay करेंगे और foreign exchange आएगा। लोग देखेंगे कि यह 132 करोड़ का मुल्क किस तरह से स्वच्छ हो गया। मैं तो कहता हूं कि दिल्ली वालो, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि दिल्ली को साफ रखें। जब यहां पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, तो बड़ी-बड़ी मांद लग गई थी। हम गोबर इकट्ठा करते हैं, उसको हरियाणा में मांद कहते हैं। Delhi should lead with personal example, not merely slogans, but by work. It is not an expersion. यह एक आह्वान है, क्योंकि फौज की ट्रेनिंग में हमें कैम्प में ले जाकर सिखाया जाता है कि ऑफिसर पूरा काम खुद करेगा, साफ-सफाई, लीपा-पोती, अपना मोर्चा खोदना और लड़ाई में हम जवान के साथ मोर्चे में जाकर रहते हैं। Not only that, my son is also an Army officer; rather, my complete family is in Army.

मेरे लड़के को भी या किसी भी अफसर को छ: महीने lowest rank के साथ रहना पड़ता है, वहीं सोना पड़ता है। मैं तो यह कहूंगा कि यह समाज, यह देश फौज से सीखे। अंत में, मैं कहूंगा कि एक दिन जरूर इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करेगा और तक्षशिला, नालंदा का इतिहास लौटकर आएगा और भारत की गौरव गाथा को मोदी जी का स्वच्छता अभियान दोहराएगा, नरेन्द्र मोदी दोहराएगा। जय हिन्द।

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. I am glad that such Bills have been brought by Private Members. But, I think, the Bill is for adding a Clause in Part IVA on the Fundamental Duties and not on the

Swachh Bharat Abhiyan. But, all the speakers have concentrated on speaking about the current movement or programme. So, I may come directly to the point. Constitution of India is the soul of India. Part III is on Fundamental Rights. Part IV is on Directive Principles of the State Policy and Part IVA has been inserted for the Fundamental Duties and it says, "It shall be the duty of every citizen of India"; so, the honourable dignitaries are not mentioned here. They are listed from (a) to (k). By this Private Member's Bill, you want to insert (l), which says, "to participate in mass movement for cleanliness...' But cleanliness of what? Sir, cleanliness always goes with 'of' what. "...and propagate the message of Clean India through his words and deeds." I mean, the citizen should mean his or her. But we always write 'her' and we don't write 'his'. That is the practice!

Sir, coming to the point directly, when we are talking of Fundamental Rights, Directive Principles of the State Policy and fundamental duties, let me mention what jurisprudence is, which is the science of philosophy and justice, which says what rights are. The state owes to its citizens. But, as a counter balance, duties are what? Citizens or people owe in return to the state.' This Private Member's Bill is for the citizens to the duties listed. Being that, if one concentrates only on what one has done, what has not been done and what the schemes are, that is not the subject-matter of this Private Member's Bill. But, coming to Swachh Bharat Abhiyan, let me clarify once and for all. Even Nirmal Bharat Abhiyan came during the UPA time. Before that, there was National Sanitation Programme already in place. So, when we are talking of the governance of past decades, this had been in place. So, cleanliness is part of the governance and it is going on eternally from the times we have become independent. It is going on at a proper pace. When we have come up with this Swachh Bharat Abhiyan, then it is fine; everyone is taking part in it. We are seeing celebrities with brooms but we don't know where the collected garbage goes, because we have not provided for a proper drainage system or sewage disposal system to see that this garbage is cleaned. So, we only see brooms and that is the optics that we get!

Secondly, Sir, the simple way to balance the equilibrium in society is to propagate rights and duties. Unless and until these duties are performed by the citizens, I think, this balance will not be struck. I come from the land of Mahatma Gandhi. Everyone has mentioned Mahatma Gandhiji. Everyone has given all kinds of their own thoughts on this. But, Mahatma Gandhiji said, 'My life is my message!' I think, if this one sentence is taken in the right way, by one's own self, there is no need to go for all the sermons.

[Dr. Amee Yajnik]

But, I come from that land. Outside the Sabarmati Ashram, just a few metres away if you go, you will find the photographs of *Devis* and *Devatas* on the walls written, 'Don't spit here!' So, when we are talking of swachhata, why do we have to make this elaborate hoardings which say, 'Please don't spit here'? Why do you have to keep Gods and Goddesses' photos there? Yes, and that is why this duty which every citizen has to inculcate in oneself is missing somewhere. And why is it missing? There seems to be a certain degeneration of ideas and a certain degeneration of some kind of thoughts in our young minds because continuously with the advance in technology, with the changing of textbooks we are confusing the young minds, the children's minds and that is why they do not know what to fall back on and that is why we have to come with this fundamental duty clause at this point of time in the history of this country. Fundamental Duties are meant for everyone to perform and these should be examples. I think it is very good to talk about Khap Panchayats, the social evils, but we do not want to talk about what we have done for the eradication of these Khap Panchayats or the social evils. We just want to harp on them, we just want to talk about them, but we have forgotten the fundamental duty part which is enshrined in the Constitution of our country. Sir, I would like to make one last point. We are continuously talking about what is happening currently, what programmes are happening currently and if Private Members' Bills are not to be brought to bring some change in our policy, bring the change in our Government structure, bring change in the administration, then, do some good for the people of this country. I think we have enough space, enough avenues and enough opportunities to laud the successes or whatever schemes of this present Government or even of the past Government. If we are going to use these kinds of Bills — not to pinpoint why this Bill has been brought about — if we are not going to demarcate what the duties are, if a citizen has to be told that his duty is this, I think we have come to a very sorry stage. So I would urge upon the Private Member to clarify what the meaning of cleanliness is. Many people have added to *mansikta*, to the thoughts. They have gone back to the old age because we are suddenly finding the Parliament is talking about all kinds of ancestral epics, and also the television media today is full of these epics. Let the students, the young minds know who are the founding fathers of this country, what was our colonial history for 200 years, what did he do for countering this colonial history of 200 years, how did we usher out the British after 200 years of rule here, who paid the price for these 200 years, who got us Independence after 200 years. That is what is needed to be told to our young children,

young generation and that is what is expected of this august House rather than giving sermons and what each one is doing and all these other Vedas. We know, we are all people who are enlightened here. We all would have read all these if we had really gone to school. If we had not gone to school, it is a different matter. But we have gone to school, it has been a part of our curriculum. Moral science has been a part of our curriculum, moral hygiene has been a part of the curriculum and so if we have taken the right kind of education, right kind of upbringing, I think, we need not be told about all these basic things. Let us pin that down and say, "Yes, when the State gives us so many rights, when the Constitution gives us so many rights, we owe a duty to the State and we need to follow these Fundamental Duties." This is the House of Elders. We need to respect the House of Elders and we need to behave ourselves. Thank you very much, Sir.

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं श्री प्रभात झा को बहुत-बहुत बधाई दूंगी कि वे जिस स्वच्छता को लेकर यह विषय लाए हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। महोदय, सरकार 2014 से "स्वच्छता अभियान" के तहत इस काम को कर रही है। इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने का जो काम किया है, उसके लिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी कि आज वह "स्वच्छता अभियान", जो 2014 से अब तक चल रहा है, वह रुका नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, जिनको पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है और यहाँ सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं, वे भी इस चीज से भली-भाँति परिचित हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे, लेकिन मैंने भी जो महसूस किया, जो मैंने देखा है, मैं उस चीज को यहाँ सदन में जरूर बताऊँगी। जैसे स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय बनवाने का जो काम किया गया है और इस सदन में पहले भी यह बात आई कि जो शौचालय बनवाए गए हैं, वे उन गरीब महिलाओं के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए, जो शौचालय नहीं बनवा सकते थे, जिनको कहीं न कहीं पैसे का अभाव था, जिनको मजबूरी में शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था, यह सबके लिए बहुत शर्म की बात थी। किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी भी महिला को अच्छा नहीं लगता कि वह खुले में शौच जाए। किसी भी परिवार को अच्छा नहीं लगता कि वह अपनी बहन-बेटियों को खुले में शौच के लिए भेजे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया और इसका संज्ञान लिया। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत से जिलों का दौरा किया और वहाँ जानकारी भी ली। उत्तर प्रदेश में अब तक एक करोड़ के आसपास शौचालय बनवाने का काम किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टियाँ यह कहती थीं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति की विरोधी पार्टी है, मैं मानती हूँ और सभी इस बात को जानते हैं कि अनुसूचित जाति का कोई ऐसा घर भी अछूता नहीं रहा है, जिसके घर शौचालय नहीं बना हो। जाति-बिरादरी से ऊपर उठ कर शौचालय बनवाने का काम किया गया है। केन्द्र सरकार की ऐसी तमाम योजनाएँ हैं, जिनके जरिए समाज में जाति-बिरादरी से ऊपर उठ कर सभी को लाभ पहुँचाने का काम किया गया है।

[श्रीमती कान्ता कर्दम]

हम सभी चाहते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ रहे और हमारा भी जो घर और आँगन है, जो हमारा गाँव है, वह भी स्वच्छ रहे। बाहर से भी देश-विदेश से यहाँ यात्रा करने के लिए विदेशी सैलानी बहुत आते हैं। वे ताजमहल देखने आते हैं, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि पर आते हैं, अयोध्या आते हैं, बहुत सारी जगह आते हैं। ऐसे तीर्थ स्थलों की भी सफाई हो, वहाँ इसको भी संज्ञान में लिया गया है। आज आप वहाँ देखिए कि कितना साफ-सुथरा और कितना सुंदर वातावरण है। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में इस बार जो कुम्भ लगा है, उसमें हमने एक मिसाल दी है। वहाँ बाहर से भी इतने सैलानी आए और यहाँ से भी कितने ही लोग यात्रा करने, उस कुम्भ में नहाने के लिए गए हैं। सबने एक ही बात कही है कि इतनी संख्या में यहाँ लोग आए हैं और स्नान किया है, लेकिन इलाहाबाद में इतना साफ-सुथरा कुम्भ हुआ है।

ऐसे ही गंगा की सफाई के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आप लोग पहले देखते थे कि गंगा किस तरह से दूषित थी। आज गंगा पर काम हो रहा है। नदियों पर कितना काम हो रहा है। जगह-जगह सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और न जाने ऐसे कितने और भी काम करने हैं।

आप लोगों को मैं एक बात और बता दूँ कि जो शौचालय बनवाने की बात है, अब तक घर में शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन अब हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह गाँवों में सामूहिक शौचालय बनवाने जा रही है। घर पर शौचालय के अतिरिक्त अगर सामूहिक शौचालय है, तो अगर किसी को जरूरत है, तो वह सामूहिक शौचालय को use कर सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार हर गाँव में ऐसी योजना लाई है कि घर-घर में और गाँव-गाँव में शौचालय रहें और किसी तरह की दिक्कत न हो। कितने ही ऐसे प्रधानों को अपने गाँव को साफ-सुथरा रखने के लिए अवार्ड्स भी मिले हैं और हमारे ऐसे कितने ही एमएलएज़ को भी अवार्ड्स मिले हैं कि उनकी विधान सभा साफ-सुथरी है। सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पहला कर्तव्य है, वह यह है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। अगर हम देखते हैं कि हमारे किसी गाँव में या हमारी किसी भी जाति में हमें लगता है कि सफाई नहीं है, तो हम सामूहिक होकर इस काम को करके उसका घर और आँगन भी साफ-सुथरा बना सकते हैं तथा उसके गली-मोहल्ला और गाँव को भी साफ-सुथरा रख सकते हैं। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। वे हमारे राज्य सभा में भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी वे एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। वे अनुसूचित जाति के नेता के नाम से भी जाने गए हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उनका नाम है - संघप्रिय गौतम। जब कभी हम उनके यहाँ जाते थे, वे मंत्री भी रहे या नहीं भी रहे, तो हम देखते थे कि वे अपना शौचालय खुद साफ करते थे और अपने घर-आँगन में खुद झाड़ू लेकर सफाई करते थे। वे अपने यहां की सफाई खुद ही करते थे। जो भी लोग उनके पास आते थे, वे उन्हें टोकते थे कि आपको तो नौकर-चाकर मिले हुए हैं, तो आप सफाई का काम अपने-आप क्यों करते हैं? वे बोलते थे कि अपने घर की सफाई और देख-रेख स्वयं ही करनी चाहिए। अगर सफाई की शुरुआत हम अपने से ही करेंगे, तो हमारा देश भी साफ-सुथरा रहेगा। हमारे यहां इतने टूरिस्ट आते हैं, हमारे यहां

की स्वच्छता को देखकर वे एक अच्छा मैसेज लेकर लौटेंगे। हमारे यहां रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड हैं अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान हैं, वे साफ-सुथरे रहें, यह सभी को अच्छा लगेगा।

अंत में, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूं कि आप इतना अच्छा बिल लेकर आए । मैं श्री प्रभात झा जी को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, आपको बहुत सफलता मिले, आप आगे बढ़ें। मैं अपनी पार्टी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, जिसने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय महोदय, मेरी एक छोटी सी गुज़ारिश है। संभवत: यहां पर हम 25 लोग भी नहीं हैं। मंत्री महोदय तक यहां बैठे हुए हैं। अभी बीच में तो यहां हम केवल 18 सदस्य ही रह गए थे। मेरा मानना है कि इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और मंत्रिमंडल के लोग भी यहां बैठे हुए हैं। यह पूरी टिप्पणी हम सब पर है कि इतने गंभीर विषय पर हम मात्र 25 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। मैं यह बात आपके संज्ञान में लाना चाहता था।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है। श्री कैलाश सोनी जी।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सम्माननीय श्री प्रभात झा जी के द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय प्रभात जी को साधुवाद देना चाहता हूं और धन्यवादों का ढेर समर्पित करना चाहता हूं। यह बात आज देश के बिल्कुल अनुकूल और एक्युरेट बैठती है। आज देश के निर्माण की जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें यह वर्तमान संशोधन लाने के लिए आपने बिल्कुल ठीक समय का चुनाव किया है। इसमें कोई अधिकारों की लड़ाई नहीं है। इसमें अपने आप को सम्मिलित करके, कर्तव्यों से अपने आप को जोड़ने का संशोधन प्रस्तुत किया गया है। हिन्दुस्तान का कोई भी चेतनाशील आदमी, जो देश और समाज के प्रति कमिटेड है, शायद ही इसका विरोध करे।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्रेष्ठ सामाजिक जीवन के लिए स्वच्छता प्रथम पायदान है। यदि हम दुनिया के नक्शे में हिन्दुस्तान को जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो अन्य उपायों के साथ सबसे प्रमुख उपाय यह स्वच्छता है, इसलिए इसके साथ गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। आधुनिक युग में स्वच्छता पर यदि किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है, सबसे ज्यादा कमिटमेंट दिखाया है, तो वह पूज्य महात्मा गांधी जी का दिखाया है। उन्होंने इस देश के पार्षदों को अवैतनिक स्वीपर कहा है। यह सबसे अधिक गुरुतर कार्य है। सनातन की मनीषा में भी स्वच्छता के काम को सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। सफाई करने वाले आदमी के लिए यह कहा गया कि जो व्यक्ति सफाई का काम करता है, उसको मन्दिर जाने की जरूरत नहीं है, केवल मन्दिर का कलश देखकर ही उसका मोक्ष सुनिश्चित है। कालांतर में इस बात को खंडित करके दूसरे ढंग से स्थापित किया गया। इसी बात को गीता रहस्य नामक पुस्तक में, लोकमान्य तिलक जी ने कहा है कि सफाई का काम देश का इतना पवित्र काम है कि जो व्यक्ति सफाई का काम करता है, उसे राम का नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। उसका मोक्ष ऐसे ही सुनिश्चित है। कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले लोकमान्य तिलक जी ने यह कहा है। यह हमारी मूल अवधारणा है।

[श्री कैलाश सोनी]

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बहुत जड़ निर्माण हो चुके हैं। आज देश को आवश्यकता है- दिल-दिमाग के निर्माण की, अच्छे आदमी और उसके भीतर अच्छे दिल और दिमाग के निर्माण की आवश्यकता है। हम मन्दिर में स्वच्छता क्यों करते हैं और क्यों मन्दिर में स्वच्छता पायी जाती है? आज हम श्रेष्ठ अस्पताल उसको मानते हैं, जो एकदम neat and clean हो। तब हम कहते हैं कि वह बहुत अच्छा अस्पताल है। आज हम बहुत अच्छा स्कूल उसको मानते हैं, जहाँ सबसे अच्छी स्वच्छता है। आज हमारा जो मन है, वह वहाँ ठीक रहता है, जहाँ स्वच्छता है, वातावरण में अनुकूलता है। इसलिए अच्छे मन-मस्तिष्क के निर्माण के लिए हमें स्वच्छता की ओर जाना ही होगा। There is no other route. कोई और रास्ता नहीं है, हमें इससे ही होकर जाना पड़ेगा, लेकिन यह बात देश में अंगीकार कब होगी, आत्मसात कब होगी? इस देश का जो ट्रेडिशन है, वह ऊपर से नीचे जाने का है, नीचे से कोई बात ऊपर नहीं आती। जब ऊपर से कोई बात कही जाये, जब महात्मा गांधी कोई बात कहें, तब यह acceptance आती है। अभी वर्तमान में हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छता को केवल बोला नहीं है, स्वच्छता को आत्मसात भी किया है। भाषण का impact नहीं होता है, impact उसके पीछे खड़े आचरण का होता है। कभी कोई पत्रिका का विमोचन प्रधान मंत्री जी करते हैं और कचरे को अपनी पॉकेट में रखते हैं, असर इसका है। ऐसा नहीं है कि केवल एक नारा दिया और भूल गये। 2014 से आज तक हमारे प्रधान मंत्री जी स्वच्छता को भूले नहीं हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना का उदाहरण देकर इसका impact बताता हूँ। अभी मैं रेलगाड़ी में था। एक माता जी ने ऊपर से कचरा फेंक दिया, तो बीच में से बच्ची ने सिर निकाल कर कहा कि "No mummy, bad thing. मोदी जी क्या कहते हैं- गन्दगी नहीं करनी है।" तो वह माता जी नीचे उतरीं और कचरा लेकर स्लीपर क्लास में जहाँ कूड़ेदान लगा है, वहाँ फेंकने गयीं। Awareness आ रही है।

मैं जिस जिले से आता हूँ, वहाँ 'बघवार' नामक एक गाँव है। बघवार का, उस आदर्श गाँव का जिन्होंने निर्माण किया है, उनको भारत सरकार ने brand ambassador का खिताब दिया। यह इसलिए दिया कि हम जब छठी कक्षा में थे, तब से उस गाँव में स्वच्छता के लिए focus किया गया। वहाँ स्वच्छता के slogans लिखे हैं। वहाँ इतने चौड़े मार्ग हैं कि दो ट्रक आप गाँव की सड़कों से निकाल लें। कभी मौका मिले, तो आप वहाँ जाइए। वहाँ percolation tank है। वहाँ के स्कूल में, सोसायटी में और न्याय पंचायत में बहुत सफाई है। वहाँ हर वर्ग के लिए अलग-अलग सामुदायिक भवन हैं। वहाँ अच्छे-अच्छे slogans लिखे हैं। मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूँ कि उस गाँव में स्वच्छता के कारण इतनी सुमति है कि वहाँ 60 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं हुआ, वहाँ सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया, चाहे आरक्षण में वह किसी वर्ग में आये, तो बघवार ग्राम स्वच्छता के कारण मशहूर हुआ।

आज पराली की चर्चा हो रही थी। आप कभी बघवार जाकर देखिए। वहाँ लेंटर डाल कर नाद जैसे गड्ढे बनाये गये हैं और हजारों-लाखों की खाद वे बेच रहे हैं। वे गन्ने का पूरा कचरा उठाकर उसमें डालते हैं, गोबर घोल कर उसकी खाद बनाते हैं और उसे बेचते हैं। वहाँ आपको

सड़क पर पानी की एक भी बूँद नहीं दिखेगी। वह इतना आदर्श ग्राम है। यह सब यदि grassroot से, नीचे से है, तो आज यह देश की सबसे बड़ी पंचायत यदि इसकी चर्चा करेगी, तब impact तो होगा, नीचे तक यह बात जायेगी और निश्चित रूप से इसका असर होगा। नक्कारखाने में सही, लेकिन तूती की आवाज़ होनी चाहिए। नॉकिंग तो होनी चाहिए। यह बहुत अच्छी नॉकिंग प्रभात जी ने अभी बहुत अनुकूल समय में की है। देश के इतिहास में वह टाइम रहता है। देश के इतिहास में कोई चीज़ ईजाद करने के लिए वह frequency बनती है, जो frequency आज इस देश में है। इसके लिए बहुत उचित संशोधन माननीय प्रभात जी लाये हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही मैं जो अंतिम बात कहना चाहता हूँ, वह एक साहित्यकार ने कही है। बहुत बड़ी-बड़ी और अच्छी चर्चाएं हो गई हैं।

"सृजन बंद पत्रकों का धीरे से खुलना है,
कुछ कहते सत्य इसे, कुछ कहते सपना है।
सपनों को गोद लिए सत्य रोज आता है,
मैं हूँ हर रचना में, मुझमें हर रचना है।"

भारत माता की जय!

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात) : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 51क में संशोधन को लेकर आदरणीय श्री प्रभात झा जी प्राइवेट मेम्बर बिल के रूप में जो संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सर, स्वच्छता के संदर्भ सभी लोगों ने बातें रखी हैं। इस सदन के सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी राय और सुझाव भी दिए हैं। स्वच्छता के उपलक्ष्य में जितनी तरह की स्वच्छता है, उन सभी तरह की स्वच्छता के संदर्भ में सभी लोगों ने अपनी बात रखी। किसी ने सार्वजनिक स्वच्छता की बात की, किसी ने मानसिक स्वच्छता की बात की, किसी ने राजनीतिक स्वच्छता की बात की, किसी ने देश की अंतरमार्गीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो स्वच्छता का चिंतन है, उसको भी रखा, किसी ने सामाजिक स्वच्छता की भी बात की, किसी ने न्यायतांत्रिक ढांचे में स्वच्छता की बात की, किसी ने धार्मिक स्वच्छता की भी बात की। चूंकि यह उच्च सदन है, इसलिए सभी ने हर तरह की स्वच्छता के संदर्भ में सुझाव भी दिए और अपनी-अपनी राय भी रखी है। अगर देखा जाए, तो इस संसार में स्वच्छता के विषय में जितना भी बोला जाए, वह कम होगा। यह विषय इतना बड़ा है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए, वह कम ही पड़ेगा। दरअसल हमारे आदरणीय संसद सदस्य जी इस विषय पर जो प्राइवेट मेम्बर बिल लेकर आए हैं, इसके पीछे उनकी जो मंशा है, वह समरसता की है। उनके मन में जो समरसता का भाव है, उसको प्रकट करने का विषय इस संशोधन के माध्यम से आता है।

सर, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 51क में मूल कर्त्तव्य के अंतर्गत 'खंड (क) से लेकर खंड (ट)' है, उसके पश्चात् खंड (ठ) में "स्वच्छता के लिए जनांदोलन में भाग लें और अपने शब्दों व कार्यों से स्वच्छ भारत के संदेश

[महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया]

का प्रचार करें" जोड़ने की बात की है। इसके माध्यम से स्वच्छता के संदर्भ में जो विषय चल रहा है, उसको भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकार के साथ कर्त्तव्यनिष्ठ भावना को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आज तक सभी ने कहा कि स्वच्छता का संदेश पूज्य महात्मा गांधी जी ने एक समय पर दिया था। उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के जितने भी लोग थे, उनको अपने साथ में रखने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती में हरिजन आश्रम की स्थापना की और कुछ अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के साथ में रहने का एक उत्तम उदाहरण भी वही हरिजन आश्रम से ही दिया था। उसके बाद यह, स्वच्छता का संदेश और पूज्य बापू का स्वच्छ भारत और स्वस्थ समाज के निर्माण का, जो एक स्वप्न था, वह कहीं पर ओझल हो गया था। उसके बाद देश में कई नेता आए, कई राजनीतिक और धार्मिक लोग भी आए, मगर हमें कहीं पर स्वच्छता के संदर्भ में आग्रहपूर्वक बात करने का कोई संदर्भ नहीं मिलता है।

सर, मगर आजादी के 70 साल के बाद इस देश को एक ऐसा विरल व्यक्ति प्रधान मंत्री के रूप में मिलता है, जिन्होंने गंगा की पवित्र धारा में, पवित्र प्रयागराज के कुंभ मेले में, जहाँ हम माँ गंगा को पतित पाविनी कहते हैं, पाप धोने वाली मानते हैं, ऐसी माँ गंगा की पवित्र, अक्षुण्ण और अविरल धारा के साथ पवित्र स्नान करने के बाद वंदना के साथ उन सफाई कर्मियों के पैर धोकर कार्यक्रम किया, ताकि समाज को संदेश मिले कि सबसे पहले अग्रिमता समाज के सफाई कर्मियों को देनी चाहिए।

सर, सभी ने अपने-अपने सुझाव रखे, मगर डा. एल. हनुमंतय्या और वत्स साहब ने कहा कि इस सफाई के काम को करने वाले जितने भी सफाई कर्मी हैं — मुझे गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर आज तक की सरकार में, चाहे वह सफाई कर्मियों के आयोग का संदर्भ या उनकी वंदना करने कार्यक्रम हो, यह कार्य कहीं न कहीं इस समरसता के विचार को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता को दिखाता है और इस तरह के कार्यों को सामाजिक स्तर पर अमल में लाने के लिए उनकी एक अलग दिशा होती है।

[**उपसभाध्यक्ष (प्रो. एम.वी. राजीव गौडा)** *पीठासीन हुए*]

सर, आज इस स्वच्छता के संदर्भ में कुछ बातें मैं सफाई कर्मियों के संदर्भ में रखना चाहता हूँ। सब लोग कह रहे थे कि सफाई के काम को किसी एक वर्ग समुदाय, किसी एक जाति समुदाय के लोगों के साथ जोड़कर देखा जाता है। दरअसल सर वास्तविकता तो यही है कि जब सफाई के काम की बात आती है, तब हम किसी एक समुदाय के लोगों को ही नजर में लेते हैं। सर, ये किस समाज के लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको सफाई का काम करने में कितनी दिक्कतें भुगतनी पड़ती हैं, हमें यह देखना होगा। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उनके अधिकारों का रक्षण करना और उनको हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना भी एक अलग से पहलू है। सर, परसों ही मुझसे भारत देश में रहने वाले अलग-अलग राज्यों के सफाई कर्मचारियों के असंगठित रूप के लोग मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि सीवर में काम करने के लिए

लोग उतरते हैं, तो जहरीली गैस के कारण कई सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है, वे बे-मौत मर जाते हैं और कोई उनकी चिंता-सुध नहीं करता है। आज तक किसी ने उनके स्वास्थ्य के लिए सुविधा की कोई चिंता नहीं की है। चाहे नगर पंचायत हों, नगर निकाय हो, महानगर पालिकाएं हो, प्रत्येक क्षेत्र में हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, मगर वे सभी कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हैं और उनको दैनिक भत्ता दिया जाता है। उन्हें मासिक तनख्वाह तक नहीं मिलती। ये उनकी समस्याएं हैं। वे सभी कर्मचारी हंगामी कर्मचारी हैं, कच्चे काम के कर्मचारी हैं। आज तक किसी ने उनके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए किसी योजना की पहल नहीं की है। सर, मुझे गौरव है कि मैं जिस गुजरात से आता हूं, जैसे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने "आयुष्मान भारत योजना" के संदर्भ में सभी बीपीएल कार्डधारकों, below poverty line और जितने भी आर्थिक तौर पर निचले स्तर के लोग हैं, उनकी सहायता के लिए "आयुष्मान भारत योजना" के तहत लाभान्वित किया है, वैसे ही गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी ने भी एक MA Card योजना लाँच करके जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें पाँच लाख रुपए तक की सुविधा मुहैया कराई है और आरोग्य के संदर्भ में चिंता करते हुए सब को लाभान्वित किया है। सर, यहाँ सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की भी चिंता करने का विषय आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी सैलेरी का कोई ठिकाना नहीं होता है, उनको दैनिक भत्ते पर रखा जाता है, उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। मैंने पिछले दिनों मेरे गुजरात के वडोदरा जिले के Dabhoi तहसील के Thuvavi गाँव में एक विजिट की थी, जहाँ एक साथ सात कर्मियों की दुर्घटनावश मृत्य हो गई थी। सर, हम सभी लोग वहाँ तत्काल गए थे और पीड़ितों से मुलाकात की थी। उसके बाद, हमने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 27-27 लाख रुपये की सहायता राशि मुहैया करवाई थी। उन लोगों की आँखों में आँसू थे। वे लोग यही कह रहे थे कि अगर उनके पास लंदन, अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री के जैसे उपकरण होते और वे उन उपकरणों को लेकर सीवर में, टैंक में उतरते, तो उनकी मृत्यु नहीं होती। सर, मैंने देखा कि एक लड़का तो इतनी छोटी उम्र का था कि उसकी शादी हुए अभी नौ महीने भी नहीं हुए थे। उसकी बीवी पेट से थी और उसका गैस दुर्घटना में निधन हो गया था। यह देखकर हमारे दिल में बहुत दु:ख होता है। यह सोचकर हमारा दर्द भी बहुत बढ़ जाता है कि यह समाज किस मानसिकता के साथ जीता है।

हमारे सांसद महोदय, प्रभात जी, जो इस विषय को लेकर आए हैं, इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के साथ जुड़ने, अपने कर्तव्य-बोध से जुड़ने का एक भाव मिलता है और उस पर चलने के लिए हमें एक अनुशासित आदेश मिलता है। सर, यह सामाजिक विकृति है कि हम छुआछूत की भावना को लेकर चलने वाले देश में रहते हैं। न जाने यह किस समाज की व्यवस्था है और यह कहाँ से आई है।

सर, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर यह देश ऐसी बड़ी विरासत का देश है, जहाँ पर भगवान श्री राम की कथाएँ इसी समाज से आने वाले ऋषि वाल्मीकि ने लिखी हैं और इसी समाज के लोगों को ऋषि का दर्जा भी मिला है। जब हम रामायण का गान करते हैं, तो सबसे पहले "वाल्मीकि रामायण" का नाम लेकर भगवान श्री राम की कथा का आरंभ होता है।

[महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया]

ऐसी पवित्र मानसिकता वाले इस देश में आज न जाने कहाँ से ऐसी विकृति आ गई है कि समाज दिन-प्रतिदिन खंड-खंड विभाजित होता चला जा रहा है।

हमारे एक आदरणीय मित्र, किसी माननीय सांसद ने चतुर्वर्ण की व्यवस्था की बातें कहने का प्रयास किया है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में पूज्य बाबा साहब डा. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक रूप से समानता के अधिकार के लिए जो पहल की थी, उससे एक कदम आगे बढ़कर इस देश को समरसता की ओर ले जाने का प्रयास करने के लिए हमारे सदस्य महोदय ऐसे संवैधानिक संशोधन लेकर आए हैं। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जब हर तरह की स्वच्छता का अभियान छेड़ा जा रहा है, तब उन स्वच्छता के कामों से जुड़े हुए जितने भी असंगठित कर्मचारी हैं, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले ऐसे लोग हो, जो सामाजिक एवं अन्य विविध प्रकार की स्वच्छता की जिम्मेवारी उठाते हैं, ऐसे सभी लोगों को — सर, मुझे गौरव है।

सर, अब इस मानसिकता को भी स्वच्छ करने की आवश्यकता है कि जब भी पूज्य महात्मा गाँधी की हत्या का संदर्भ आता है, तब लोग किसी एक संगठन के ऊपर उँगली उठाते हैं। आज स्वच्छता के आधार पर उस मानसिकता को भी स्वच्छ करने का समय आ गया है। ...**(व्यवधान)**... आदरणीय रमेश जी, हमारे प्रत्येक सांसद ने हर गाँव में जाकर पूज्य महात्मा गाँधी जी के संकल्पों को साकार करने के लिए "गाँधी संकल्प यात्रा" की है। उन सांसदों में से कोई सांसद 200 किलोमीटर, कोई सांसद 150 किलोमीटर, तो कोई सांसद 175 किलोमीटर चलकर गाँवों में गया है। वह हर गाँव में गया है और प्रत्येक सांसद ने हर गाँव में पूज्य बापू का संदेश दिया है। इसलिए पूज्य महात्मा गाँधी जी का यह जो स्वच्छता का मिशन है, उसे पूरे देश में लेकर वास्तव में 70 सालों के बाद आज पहली बार आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी सभी सांसदों के साथ गए हैं। उसी अवसर पर, संविधान में संशोधन कर लोगों में कर्तव्यबोध की भावना को लेकर, समरस समाज की कल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रभात जी, जो यह बिल लेकर आए हैं, उसका तहेदिल से समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। आपको प्रणाम और वंदन।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, this has been a very rich discussion. Apart from the hon. Member who introduced the Private Members' Bill, there have been eleven other speakers. We have had the discussion for nearly two-and-a-half hours. In this rich discussion, many points have been raised. I would seek your indulgence I would like to give a full and comprehensive response because this is an area where a lot of things come up. Perhaps, if you are willing to extend the House till six o'clock, I can start speaking now. Otherwise, I suggest that we do it on a later day.

SOME HON. MEMBERS: No, Sir.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Well, I got the response, that I was looking for, from hon. Members. So, I am quite happy that if this can be taken on a subsequent day.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, subsequent day is better.

SHRI JAIRAM RAMESH: Is he the Minister concerned?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Yes, I am the Minister concerned, and I am willing to stay here all evening. This is a subject very dear to my heart.

SHRI JAIRAM RAMESH: You are a concerned Minister but not the Minister concerned.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I am both a concerned Minister and the Minister concerned. The linguistic nuance being that I am concerned about Swachhta and I am also the line Minister for this subject. So, I am in for the answer. I think, I would...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): I would urge you that we have to commence your reply and then complete it. Let me take the sense of the House. Shall we close this discussion of Private Members' Bill right now because…

SOME HON. MEMBERS: Sir, next week.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Okay. It is because we have the Minister's reply and, then, the Member, who moved, to also respond to the Minister's reply, so, it is the sense of the House that we move this part to the next week.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Okay. Then we will just take up Special Mentions now because we are running out of time.

We will take up Special Mentions. First is Shri B.K. Hariprasad. You are welcome to lay it on the Table or if you want, you can read.

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, I would like to read just a paragraph.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): You can read the whole matter.

———